

this matter. It is a serious matter. It is a matter of defending the Constitution. Therefore, the Government should allow it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is all right.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: The House is not being extended only for discussing the Preventive Detention Act. There is other business also. We discussed it at a meeting of the Business Advisory Committee yesterday where representatives of all the Parties were there. Perhaps the hon. Member has in view his 'No-Day-Yet-Named Motion.' I do not know, but during the discussion on the Preventive Detention Act the hon. Member will have full opportunity—I think more than necessary—to attack it and certainly the hon. Member will say when the emergency is there we should not have it. All these things will be discussed. It is so allied that it is very difficult to draw a line of demarcation between the two. So, I think so far as this Session is concerned, Government is not in a position to handle the 'No-Day-Yet-Named Motion.'

SHRI BHUPESH GUPTA: Why?

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has given the reason. He said that the Government is not in a position to do it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI R. M. HAJARNAVIS): Madam, may I have your indulgence to ask the House for their permission? I have agreed to make a statement at 2.30. The statement is ready. I have to receive Lord Denning, who is coming here, together with the Law Minister. We were told that his plane would arrive at 12.45, but it has been delayed till 2.15. May I have your permission and that of the House to make the statement at 4 o'clock instead of at 2.30?

865 RSD.—3.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think the House will grant him that indulgence. Now, the House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at five minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, THE VICE CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) in the Chair.

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1962—Continued.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Mr. Kasliwal. Not here. Mr. P. C. Mitra.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Sir, we were promised a statement at 2.30.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): That will be done later.

श्री प्रतुल चन्द्र मिश्र (बिहार) :

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो भार्गव साहब का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ लेकिन इसके माने यह नहीं है कि उनका जो बिल है उसका मैं समर्थन करता हूँ; क्योंकि बिल से यह साफ जाहिर होता है कि तीन चुनावों को देखने के बाद उनमें निराशा पैदा हुई है और यह बिल उस निराशा का द्योतक है। कोई भी कानून ऐसा बनाना चाहिये जिसके लिये कि जनमत का समर्थन रहे और जिसे लागू करना भी सम्भव हो। हम लोगों ने यह कानून तो बना दिया कि असेम्बली कांस्टीट्यूंसी के लिये ६ हजार या ७ हजार रुपया और पार्लियामेंटरी कांस्टीट्यूंसी के लिये २५ हजार रुपया खर्च हो सकता है और इसमें बहुत किस्म का प्रतिबन्ध दे दिया है कि अगर फर्ला-फर्ला किस्म से खर्चा किया जायेगा तो उस पर कार्यवाही हो सकती है और चुनाव भी खारिज हो सकता है, लेकिन इसकी

[श्री प्रदुल चन्द्र मिश्र]

देखभाल करने के लिये, इस पर खबरदारी करने के लिये कोई इंतजाम नहीं किया, जिसका फल यह हुआ कि जिसके पास पैसा है, वह जैसा चाहे खर्च कर सकता है। जितना खर्चा करने की इजाजत दी हुई है, उतना खर्चा कोई गरीब किसान या मजदूर नहीं कर सकता है और जैसा कि हमारे अपोजीशन के मेम्बर ने कहा कि किसानों को और मजदूरों को आना चाहिये और वही हमारे प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन अभी भी जितना खर्चा करने की इजाजत है उतना खर्चा भी करने की वे लियाकत नहीं रखते हैं। तो चूंकि यह बिल जनमत जानने के लिये भेजा जा रहा है, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। इस विषय पर जब जनमत आयेगा तब आदमी सोच सकेगा कि इसके पीछे जो बेईमानी होती है उसको कैसे खत्म किया जाये। हो सकता है कि चुनाव के तरीके को भी कुछ बदलना पड़े जिससे कि इतना खर्च करने की जरूरत नहीं पड़े। इसीलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मेरा अपना अनुभव तो यह है कि यह जो खर्चा करने की प्रवृत्ति है वह भी आहिस्ता आहिस्ता घटती जायेगी। यह कहना कि पैसा खर्च करने से कोई भी जीत सकता है, यह अधिकांश में ठीक नहीं है। चुनाव के परिणामों से यह मालूम पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसा खर्च करने से ही कोई जीते। कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत तो पड़ती है लेकिन जो उम्मीदवार ज्यादा पैसे को दिखाता है वह हार जाता है और जो गरीबी ढंग से काम करता है, धूमता है और अपने लिये कोशिश करता है वह जीत जाता है, ऐसा देखने में आता है। मेरा अपना क्या है कि आहिस्ता-आहिस्ता कुछ दिन में पैसा खर्च करके जीतने की जो प्रवृत्ति है वह घट जायेगी।

कहा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, जो शासक पार्टी है वह

बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकती है और इसीलिये यह बिल लाया गया है कि जो अभी लिमिट है, वह लिमिट नहीं रहे, लेकिन यह बात बिल्कुल निराधार है। मैं समझता हूं कि अगर हिसाब किया जाये, हर एक जिले में कितनी सीटें हैं और हर एक उम्मीदवार के लिये जितना खर्चा होता है उस सब को मिला कर कांग्रेस पार्टी का जो खर्चा है उसका हिसाब किया जाये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों के खर्च से वह खर्चा कम है। कभी भी कांग्रेस पार्टी का खर्चा उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यह दूसरी बात है कि दो, चार लीडर्स के लिये कुछ ज्यादा खर्चा हो जाये लेकिन साधारण तौर पर उम्मीदवारों के लिये कांग्रेस पार्टी बहुत कम रुपया खर्च करती है। हम कांग्रेस पार्टी में भी देखते हैं कि जहां पर ज्यादा रुपया खर्च किया गया है वहां क्या हुआ है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि रुपये के बल पर वोट दे। जनता यह समझ गई है कि चुनाव में झूठ बोलना कोई पाप नहीं है और वह समझती है कि जो उम्मीदवार अभी इतना पैसा खर्च करते हैं तो फिर वे जरूर आगे जा कर नफा करेंगे, जरूर कमायेंगे और जब जायज तरीके से कमाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिये यह कमाई नाजायज तरीके से ही हो सकती है। जो ५० हजार या लाख रुपया खर्च करता है, उसको जनता समझती है कि वह जाकर के जरूर बेईमानी करेगा, तो उसका चुनाव नहीं करती है और जब वे चुनाव में सफल नहीं हुए तो वे क्या कमाई करेंगे? अब जैसे सदन का इनडाइरेक्ट एलेक्शन है तो इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कोई खर्च नहीं करते हैं लेकिन हम यह जानते हैं कि जो दूसरे लोग हैं, जिनके पीछे पार्टी की ताकत नहीं रहती है, वह इसमें बहुत खर्च करते हैं। दो-एक केस हम जानते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा खर्च किया है जब कि बाकी आदमी कोई खर्चा नहीं करके आए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी पर जो यह इल्जाम लगाया जा रहा है

कि इसीलिये यह बिल लाया गया है कि खर्च की कोई लिमिट नहीं रहे और कांग्रेस पार्टी जितना चाहे उतना खर्च कर सके, यह बिल्कुल निराधार है ।

असल बात यह है कि किसी को झूठ लिखने के लिये मजबूर न कीजिये । यही सब से मुख्य बात है । कोई कानून ऐसा नहीं बनाइये कि जो ईमानदार आदमी भी है वह अगर सच्चाई से लिखे तो फिर उसको नुक्सान हो जाये । जैसे कि पांच वर्कर्स को अगर कोई एक, एक रुपया खाने के लिये दे देता है तो वह कानून के चक्कर में आ जायेगा; क्योंकि सिर्फ एलेक्शन एजेंट को ही खर्चा दे सकते हैं और दूसरे किसी को नहीं दे सकते हैं । अगर किसी वर्कर को खाने का इन्तजाम कर दीजिये तो वह भी कानून में आ जायेगा; क्योंकि वह वर्कर भी वोटर है और इस तरह रुपया देकर वोट मांगने में आ जाता है । आपने ऐसा कानून बनाया है कि ईमानदार आदमी को भी मजबूरन झूठ लिखना पड़ता है, झूठे कागज में सही करना पड़ता है । तो इसीलिये यह प्रस्ताव आया है कि बिल का जनमत जानने के लिये प्रचार होने से बहुत से लोगों की वृद्धि लगने से कोई ऐसा रास्ता मालूम पड़ेगा जिससे कि किसी को झूठ लिखने के लिये मजबूर नहीं होता पड़े ।

पैसा इकट्ठा करने के बारे में भी कुछ बात कही गई । कहा गया कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े-बड़े आदमियों से पैसा लेती है । यह बात इस माने में सही है कि कांग्रेस पार्टी बड़े आदमियों से और गरीब आदमियों से सभी से पैसा लेती है । जो चन्दा देता है उससे लिया जाता है, लेकिन जबरदस्ती किसी से नहीं लिया जाता है । जहां तक लेने की बात है, सब लेते हैं । अब, यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को इसलिये देते हैं कि उसमें उन्हें लाभ है । किसी को उससे फ़ैवर होने की उम्मीद है, किसी को कोई लाभ होने की उम्मीद है, इसलिये कांग्रेस पार्टी को दे देते हैं । लेकिन ऐसी पार्टी भी है कि

जिसको आदमी धमकी में आकर देते हैं, अपना नुकसान होने के डर की वजह से देते हैं । तो यह धमकी में देना भी खराब है और लालच में देना भी खराब है । अब कोई पार्टी धमकी देकर लेती है कि अगर यह नहीं करोगे तो यह करेंगे, आपके यहां रूढ़िवाद करा देंगे, आपका यह लुटवा देंगे । इस डर से भी देता है । इसलिये किसी भी तरह का दबाव यानी, अगर लालच से दबाव है वह भी खराब है, कोई धमकी से दबाव है वह भी खराब है । इसलिये किसी तरीके से दबाव देना, यानी दोनों ही चीजें खराब हैं और दोनों चीजें बन्द हों इसी को देखना चाहिये ।

अभी अनवर साहब ने कहा कि पार्टी के हिसाब से केन्डीडेट खड़ा किया जाये । यह जो सुझाव उन्होंने दिया है, यह तो मेरी समझ में नहीं आता कि कभी संभव है । किसी भी आदमी से यह कहा जाये कि भाई, आपके यहां से किसी आदमी को चुना जायेगा—और जैसा कि कहा गया, हो सकता है, बिहार का आदमी त्रिचनापली से चुना जाये—तो हर आदमी कम से कम यह चाहता है कि हम वोट देंगे उसी को जिसको हम जानेंगे । उनके पास उम्मीदवार पढ़ें, और अगर नहीं जायेगा तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बैठ कर कैसे उसको वोट दिलवा सकती है ? चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कम्यूनिस्ट पार्टी हो, यह हम नहीं समझते हैं कि कोई आदमी उम्मीदवार को बिना जाने वोट देगा । यह तो अच्छी तरकीब नहीं है कि इस तरीके से वोटर को अंधेरे में रखना जिसमें वह जान भी नहीं सके कि कौन हमारा प्रतिनिधि होगा । यह तो हम समझते हैं कि ठीक तरीका नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि जो भी पार्टी का आदमी हो, उसे आदमी का चरित्र विचार करने का भी अधिकार वोटर को होना चाहिये । यह सही है कि कोई भी आदमी पार्टी में आ सकता है, पार्टी में हर कोई कांग्रेस का मेम्बर बन सकता है या कम्यूनिस्ट पार्टी का मेम्बर बन सकता है । लेकिन यह जानने

[श्री प्रतुल चन्द्र मिश्र]

का भी रास्ता मिलना चाहिये कि उसका चाल-चलन ठीक उसी तरीके का है कि नहीं, वह सही आदमी है कि नहीं। हो सकता है कि कभी गलत आदमी पार्टी में आ जाये। ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी कभी गलत आदमी को खड़ा नहीं करते हैं; गलत आदमी को खड़ा करते हैं तो जनमत उसके खिलाफ होता है, वह हार भी जाता है। इसलिये हम समझते हैं एक यह तरीका कि पार्टी का नाम रहेगा और केन्डीडेट सामने नहीं आएगा, यह तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि शायद ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा—इतनी बड़ी-बड़ी कांस्टीट्यूएन्सी हैं, इस कांस्टीट्यूएन्सी को छोटा करने का कोई रास्ता निकलेगा कि नहीं, यह सोचना चाहिये, यानी कांस्टीट्यूएन्सी जितनी छोटी होगी उतना कर्प्शन का रास्ता घट जायेगा। हमें छोटी कांस्टीट्यूएन्सी के बारे में सोचना है। हम लोगों की कांस्टीट्यूएन्सी बहुत बड़ी होती है जिससे यह अनाचार का रास्ता और ज्यादा खुल जाता है, किसी को भी उसकी खबरदारी करने का इन्तजाम करना बहुत मुश्किल होता है और उम्मीदवार की वोटर से जान-पहचान नहीं रहती है, इसलिये उसको जान-पहचान करने के लिये बहुत खर्चा करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि यह जब जनमत के लिये आयेगा तो यह भी सुझाव आयेगा। जब चीन में ८०० मेम्बर हैं पार्लियामेंट में और अभी ४०० या ५०० और बढ़ाने की बात हो रही है तो क्यों नहीं यहां भी बढ़ें? यहां ५०० जब हो सकता है तो ८०० होने से क्या नुकसान हो सकता है? तो इसी तरीके से यहां असेम्बली या काउन्सिल में ...

श्री शीलभद्र याजी : साढ़े सात सौ यहां भी हैं।

श्री प्रतुल चन्द्र मिश्र : ... बढ़ाने की बात हो सकती है। एक बात कहो जा

सकती है कि वे बैठेंगे कहां? जब इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग हम बना सकते हैं, तो नयी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बन सकती है; काउन्सिल, एसेम्बली की बिल्डिंग भी बन सकती है।

हम समझते हैं कि यह बिल जो प्रस्तावक साहब ने प्रस्तुत किया है, इस पर जनमत लिये जाने के बाद यह सब रास्ता निकलेगा, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती ताराबाई साठे (महाराष्ट्र) :

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने भार्गव जी ने जो यह बिल पेश किया है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ी हुई हूं। कई सभा सदस्यों ने और भार्गव जी ने भी बताया है कि यह जो खर्च का हिसाब देने की शर्त है यह न रहे। मैं उनसे सहमत नहीं और इसके क्या क्या कारण हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं।

कई सदस्यों ने बताया है कि गरीब आदमी को चुनाव में खड़े होने की स्थिति हो, इसलिये यह कानून और जो शर्त है, यह निकले। इस देश में कई गरीब आदमी हैं और कई कर्तव्यवान भी हैं और अपने-अपने ताल्लुक में और जिले में काम भी करते हैं। फिर जब उनके पास पैसा नहीं है तो ये चुनाव में नहीं खड़े हो सकते हैं। आज जो कानून है, उस कानून से लोक सभा के लिये २५,००० रुपये तक और एसेम्बली के लिये ७,००० रुपये तक खर्च करने के लिये परमिशन मिली है। तो यह भी बहुत ज्यादा खर्चा है, ऐसा मैं सोचती हूं।

दूसरा कारण कई सदस्यों ने यह बताया है कि यह खर्च का जो हिसाब सरकार को रिटर्निंग आफिसर को देना पड़ता है, उसका झूठा और गलत हिसाब कई लोग दे देते हैं। इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैंने भी लोक सभा का एलेक्शन लड़ा है और मैं आपके सामने यह रख सकती हूं कि मैंने एक पैसे का भी हिसाब

झूठा नहीं रखा है। तो ऐसे भी कई प्रामाणिक केस हो सकते हैं और प्रामाणिकता एलेक्शन के खर्च के बारे में ही नहीं होनी चाहिये; बल्कि हर एक क्षण प्रामाणिकता रखनी चाहिये। तो यह जो गलत बात यहां बताई है इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और गरीब आदमियों के लिये जो बताया गया है वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि जब यह कानून और यह शर्त निकल जायेगी तो गरीब आदमी कभी भी चुनाव के लिये खड़ा नहीं हो सकेगा; क्योंकि जो श्रीमंत आदमी है वह बहुत सा खर्चा कर सकेगा।

अब मैं दो एक सूचना देना चाहती हूँ। बहुत दिन पहले चुनाव के वक्त कन्वेंन्स भेजने की कुछ आदत थी और आज जब हम वोटर्स या मतदारों के यहां जाते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे लिये वाहन भेज दो, तो मैं उनको बता सकती हूँ कि आजकल कानून से यह बन्द हो गया है। तो इसलिये, क्योंकि यह कानून से बन्द हो गया है, वोटर्स और मतदार यह मांग नहीं कर सकते हैं और इससे बहुत सा खर्चा कम हो गया है; क्योंकि वाहन के बारे में पहले तो बहुत खर्च करना पड़ता था। यह खाली एसेम्बली के लिये और लोक सभा के लिये नहीं है। आज कल बहुत से चुनाव हो रहे हैं—कारपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी (नगर-पालिका) है, कोऑपरेटिव बैंक है और पंचायत है, हर एक चुनाव में भारी खर्चा करना पड़ता है। तो इसलिये यह जो कानून है, यह सब पर ही लगना चाहिये, खाली एसेम्बली के लिये और लोक सभा के लिये नहीं।

चुनाव के समय जो ज्यादा खर्चा होता है, वह आखीर के दिन होता है और आखीर के दिन में बहुत सा मंडप लगाना पड़ता है। जहां पोलिंग बूथ होते हैं उसके चारों तरफ से मंडप लगाना पड़ा है और सुबह ८ बजे से शाम छः सात बजे तक इधर स्वयंसेवक

बैठते हैं और बहुत बड़ा जलसा चलता है। ये सब मंडप कानून से बन्द होने चाहिये क्योंकि सरकारी लोग उधर होते हैं हर एक पोलिंग बूथ में, वे नम्बर दे सकते हैं। तो ये जो पार्टीज के लिये और लोगों की तरफ से जो ये मंडप रखते हैं, यह सब जब कानून से बन्द हो जायेगा, तो यह सब खर्चा कम हो जायेगा।

दूसरी सूचना मैं यह देना चाहती हूँ कि जलूस की भी बंदी की जाय। आजकल ऐसी आदत हो गई है कि जब चुनाव होता है तब और आखीर के दो तीन दिन में बड़े जलूस निकलते हैं। एक पार्टी एक जलूस निकालती है तो दूसरी पार्टी उससे बड़ा जलूस निकालती है और उधर भी बहुत सा खर्चा होता है। बड़े बड़े फोटोज लगते हैं, रिकॉरिगनेस करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, लाइट लगाते हैं और इन जलूसों में पांच-पांच, सात-सात हजार रुपया खर्चा होता है। शहर में यह जलूस और बड़ा होता है। तो यह जलूस कानून से बन्द करना चाहिये। इसके साथ, अगर कोई संस्था या ग्रुप यानी गुट किसी डोनेशन की मांग करता है तो वह मांग भी कानून से बंद होनी चाहिये। जो कोई उम्मीदवार डोनेशन देंगे, उनका भी कैंडीडेचर रद्द होना चाहिये। और जो पोलिटिकल पार्टीज होती हैं वे भी बहुत सा खर्चा करती हैं और उसका हिसाब उम्मीदवार के हिसाब में आता नहीं है। इसलिये मैं ऐसी सूचना देना चाहती हूँ कि हर एक पार्टी को भी रजिस्ट्रेशन करना चाहिये और रजिस्ट्रेशन करके न केवल चुनाव के वर्ष का, बल्कि हर एक वर्ष का उस पार्टी को हिसाब देना चाहिए सरकार के पास। अगर इलेक्शन में जो खर्चा किया जाता है, उसके बारे में कोई पाबन्दी लगा दी जायेगी कि इतना खर्चा किया जाना चाहिये, तो उससे ज्यादा खर्चा कोई भी पार्टी नहीं करेगी। मेरा यह सुझाव है और कितने लोग इससे सहमत होंगे, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ।

एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि यह जो संशोधन है उससे मैं सहमत नहीं हूँ,

[श्री मती नारायण साठे]

लेकिन इसको लोकमत जानने के लिए भेजा जाये, इसका मैं समर्थन करती हूँ। एक बात मैं और भी यह कहना चाहती हूँ कि अभी जो खर्च के बारे में पाबन्दी है उसको ज्यादा सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिये। अगर खर्च की राशि को कम किया जा सकता है तो उसको कम किया जाना चाहिये लेकिन जहाँ तक इस पाबन्दी का सवाल है, इसको सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिये। मैंने देखा है कि बहुत से उम्मीदवारों की उम्मीदवारी कानून का ठीक तरह से पालन न होने की वजह से रद्द हो जाती है। अगर हम इस पाबन्दी को नहीं रखेंगे कि इतना खर्च होना चाहिये और हर एक उम्मीदवार को उसका हिसाब रखना चाहिये तो लोग इस पाबन्दी के न होने की वजह से बहुत ज्यादा खर्च करेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। इसलिए आपके सामने जो संशोधन है, उसका मैं विरोध करती हूँ।

SHRI MOHAN I. AL SAKSENA (Nominated): Sir, I have heard the speeches of the mover and some of the supporters for circulation of the Bill to elicit public opinion. I am neither in agreement with the Bill nor with the motion for circulation of the Bill, and for very good reasons. Soon after the General Elections I had written as to what had happened during the elections; I had written a few articles on them. Of course, it was a matter for some satisfaction that the biggest democracy, as ours is, has been able to have three general elections, and the election machinery has more or less worked satisfactorily. Apart from that, it could be noticed, not only in this election but in the last general elections also, that there were a number of malpractices which were committed with impunity, which were not taken notice of, which could not be checked either. Even before the Third General Elections I had drawn the attention of the authorities to these and suggested several measures to that end. After the General Elections, as I have said, I

had suggested three measures. One was that the Government should appoint a high-powered • commission to examine the working of the third General Elections and find out the lacunae in the election law in the light of the last elections and to suggest amendments to provide against a recurrence of these malpractices, as well as to go into the question and find out how the election expenses could be reduced.

The second suggestion was that an all-party organisation should be set up, which should formulate a code of conduct for parties and candidates. The political parties may have different policies and programmes, but they have the common objective—the maintenance of country's integrity, preservation of its security and the well-being of the people. To that end all the parties profess to work, and I am glad at least one amendment was made in the Constitution, that every candidate has now to take an oath before filing his nomination paper that he believes in the integrity of India.

Then, the third measure I had suggested was that there should be an integrity commission, a statutory integrity commission—which should work like the Election Commission of India—under the President of India, and enforce certain duly defined standards of integrity in administration as well as public life. All these measures, if they could be taken, if the suggested commissions and the committee could have been set up, they could at least have examined the situation and might have suggested the necessary measures to safeguard freedom and democracy in this country.

I have no doubt, as I have said once before in this House, that the last general elections have brought democracy into disrepute in this country; they revealed certain shortcomings in our election law as well as certain dangers to democracy. After all, democracy is only a means to an end.

and the end is well-being of the people. And unless we can assure that, I feel political parties will prove a costly purse, instead of being a necessary evil, as they are supposed to be in the parliamentary system of democracy. I had suggested how the election expenses could be reduced. Now, what are the items on which expenses are incurred? First of all it is necessary that every voter should know that a particular person is standing as a candidate. Next, the people, the voters should know to which party he or she belongs, and what are the policies and programmes of that particular party. Thirdly, the candidate should get into touch with as many voters as possible. Lastly, there were the polling day expenses—different candidates set up separate camps at polling booths and that also costs a lot. So my suggestion was that, instead of every candidate keeping an account of his election expenses—which to some extent is difficult to do—it would be much 'better—as is the practice in some countries—that once the candidates are nominated, an all-party committee consisting of all the candidates or their representatives and presided over by a representative of the election authorities is set up to regulate these election expenses. The candidates are required to deposit a certain amount with the committee. Then this committee decides as to how many leaflets were to be issued, how many posters were to be issued and how many meetings were to be held.

As for the polling day, it is not necessary that each and every candidate should set up a separate camp. And why should it be? After all it is the business of the polling authorities to see that all the voters who come to the booth are properly conducted and have full facility to cast their votes. So, if this committee consisting of all the representatives of the candidates and presided over by a representative of the election authorities, could decide about the propriety of the election expenses, the

expenditure could be reduced and there could be a check on it also.

Not only that. I can also appreciate the difficulty of the candidates. Mr. Bhargava has pointed out that once a candidate is nominated, his only concern is to see that he is elected, I do not think it should be the concern of the candidate. The first concern of the candidate should be to see that the people are properly educated if we are to serve the cause of democracy; it is not to see that one particular candidate or person is elected. What does it matter if a person is elected or not? Now, if you examine the record of the last two general elections, you will find that precious little has been done for the education of the voters. 3 P.M. Now people deliver some routine speeches. And instead of the people visiting the voters from house to house, aeroplanes are used to drop notices or hand-bills. That may be a good device for demonstration which may influence the voters who may be carried away by it. But that is not educating them. Unless you educate the voter, I am sure democracy will always remain exposed to danger and anything might happen. So my suggestion is, as I had also suggested during the course of the general discussion on the Budget immediately after the Third General Election, that a high-powered commission should be appointed immediately to go into the working of this election law, to see that the polling process is not only made foolproof but also knave-proof.

Mr. Bhargava has pointed out that if a person so chose, he could incur all the expenses before the date of the announcement of the election and defeat the provision regarding filing of election expenses. He could pay for the petrol, printing, conveyance etc. beforehand. If you do that, the purpose of any law can be defeated. It is not like that. Our purpose here is to see how the law can be enforced if it is a necessary law, if it is a useful law. If it is not, it should toe

[Shri Mohan Lai Saksena.] scrapped straightway. From the Bill, it appears that Mr. Bhargava wants that this chapter on the election expenses should altogether go.

Sir, there is also a drafting error which has not been pointed out. I might point out that Mr. Bhargava has sought to repeal three sections of chapter 8, I think 76, 77 and 78. He has also sought to delete one of the provisions in one of the clauses in section 123. There is another clause which relates to the election expenses. In his Bill he has not sought to delete it. Even if these two are given effect to, corrupt practices, as denned in sub-clause 6, will continue. Therefore, it is not a question of election expenses alone. Are we not aware that many corrupt practices have been committed during the last elections? To cite only one instance, which has been cited before, the use of conveyance, the use of vehicles. We know it is a corrupt practice to provide vehicles to take the voters to the polling booth and back. Still we know that this provision is being defeated with impunity. Cases are known of vehicles coming from Kashmir to work for the elections. What is all this? Either we permit or we do not permit the use of vehicles for conveyance. If we do not permit, as I think we should not, then the only course is instead of having polling booths situated at long distances we should have more polling booths and we must see to it that conveyance provided by a friend or anybody should not be used; it should be taken as a corrupt practice. This gives advantage only to the person who can borrow conveyances from his friends, instead of paying cash, and use them for the voters.

Sir, under the Constitution we have guaranteed equality of opportunity. Our Constitution provides for a democratic form of Government, a parliamentary democracy. Therefore, we must see that every candidate, everybody gets equal opportunity. Mr. Bhargava has suggested the removal of

provision for filing return of election expenses. He said, let the candidate spend to his heart's content. I do not know where he got that idea from. I think in that connection Gandhiji was also quoted. 'Satyameva Jayate' was also referred to, and he said, therefore, we must do away with it. Personally, I might remind the House that Mahatma Gandhi, even a few months before his death, had reminded us that democracy was becoming very costly and unless we reduced the expenses and made it a poor man's affair, it cannot last long. People will get fed up with it soon. I know since 1948 things have become much worse.

Gandhiji's idea was that in a free democracy many parties and persons will woo the voters but only the best persons should win. But then in 1948 he emphasised that the Congress should cease to be a political party and it should only see to it that no faked voter is brought on the voting register and that the voter gets the proper opportunity of understanding the issues placed before him and of exercising his vote freely. So, that was his idea of democracy.

Sir, there is guided democracy^ there is controlled democracy, there is basic democracy and so on.

SHRI N. M. LINGAM (Madras): People's democracy also.

SHRI MOHAN LAL SAKSENA: But we are committed to the parliamentary system of democracy. And if the parliamentary system of democracy is to work successfully, that is, in the interest of the people and not in the interest of the candidates or a few persons who may be at the top, it has to be worked in such a way that it does not become a costly affair.

SHRI LOKANATH MISRA: I can just add here for the information of the hon. Member that 'Satyameva Jayate' has been replaced by 'Artha-meve Jayate'.

SHRI MOHAN LAL SAKSENA: It ' night have been replaced, I do not know. But it still remains our national motto. Therefore, I agree with him that we must take every step to see that we are able to comply with the rules and provisions. But if we look to the convenience of the persons fighting an election, convenience of candidates, I am afraid we will never be able to act up to this motto, 'Satyameva Jayate'. I know, Sir, not only in this sphere but in many other spheres how the laws are enforced, how people make distinction in telling truth before a court and in telling truth in their day-to-day affairs. Therefore, for that we have to set a standard and stick to it. For unless we stand by that standard, however irksome it may be, though we may fail to win a seat, unless we hold fast to that standard, I am sure we will not prove worthy of it. It will only add to the evil because the danger, as I have pointed out earlier here in the House, the greatest menace to democracy is the money menace. Money should not come in. And what do we find today? It is money at every stage which is dominating.

Here I am reminded of the observation by Swami Vivekananda: He said, "What would happen if India were to die? All the love for religion and spirituality will disappear and in its place will reign the duality of lust and luxury, with money as its priest, force and fraud will be the ceremonies and the human soul will be the sacrifice". So if you want to strengthen parliamentary democracy, you have to hold fast to this ideal. After all, even before we had independence we had this law. We also had to file election expenses returns. I have been in this affair since the formation of the Swaraj Party. I was one of the founders of the Party, and I can tell you without fear of contradiction that we took particular care to file our election expenses returns then and there. But then there was a method about it. We decided as to how much was to be spent on transport, how much was to be spent on publicity

and all that. Having done that, it was not difficult to keep accounts. I can understand that it is not easy to get all the vouchers. For that we can make a provision that vouchers for Rs. 25 and less may not be produced subject to the provision that the total of such expenditure did not exceed 20 per cent, of the total amount spent. That is a genuine difficulty and should be looked into. We know even in the Rajya Sabha election, where we are not to file any return of election expenses, how money has been spent, how it has played a prominent part—I would not say havoc—has been utilised for winning votes. There is no question of educating the voters. After all, the members of legislatures are themselves educated. But we know how selections are made by one group in the Congress. Even in the elections of party leaders these practices have resorted to. Once we give a licence, once we allow this loophole here, I think we open the floodgates to all kinds of corruption. Therefore I am one of those who believe that this Bill seeks to provide a remedy worse than the disease.

Now, as regards money, not only now but since 1951, before the First General Elections, I had been of the view that no Party should raise big sums from any person and in that regard I had suggested that only active members of a party should be allowed to contribute Rs. 5,000 or Rs. 10,000 at the most to the party funds and as the Lady Member said just now, I had suggested then that proper accounts should be kept of every pie that is received; but now what happens is, it is the Chief Minister or somebody else who receives the money and who disburses it at his pleasure. It does not go even to the Party . . .

SHRI LOKANATH MISRA; And disburses a part of it.

SHRI MOHAN LAL SAKSENA: I do not know. That may apply to other parties as well but I say that all these evils arise from these big / donations. They were not made with

[Shri Mohan Lai Saksena.] any ulterior motives or considerations. It is for some end that this money is spent and therefore I had suggested then and the Prime Minister who had taken up the Presidentship of the Congress, had accepted my suggestion and it was decided that the Congress Party should collect money in small donations. I do not mind collecting money. Of course, as Mr. Yajee has pointed out, every party has to raise funds for running it but where does it get from? The larger the number of people that contribute the more popular it is and the less expenditure you will have to incur during the elections. If you can go and make people contribute one rupee each for your elections, I am sure that the person is sure to vote for you whether you go to him or not. If it is not a voluntary contribution, I am against it.

Then the whole question is this. I suggested and the Prime Minister accepted the suggestion and receipts were printed and the State Committees were expected to co-operate with it but the then Treasurer, Shri Morarjibhai, of course did not favour the proposal. He referred to it in this House during the Budget discussion, you will remember, and he said, "I have had sad experience of the suggestion". Then I got up and said, "This was my suggestion and I took responsibility. I have got correspondence with me". I said, "What is it?" and then he said, "Yes, you wrote that it failed. It failed because the State Committees did not respond. You should have foreseen that it will not work". I said, "It was not a question of the State Committees not responding. I had no power to work the scheme. I had only made the suggestion and the President had accepted it and if you did not feel that it would work, you should have told him or others should have told him, but nobody told him and ultimately it was discarded and he said that it had failed". It did not fail for want of response on the part of the State Committee or workers on the lower ranks

but because the top people thought it was easier to get big sums than to go about making collections. So ultimately when it came to this, he admitted: "Weil, I do not want to go into further correspondence"; but I said, "You have made a statement in the House, I owe to the House to explain it and to bring it to its notice what was wrong with my suggestion with which you had differed" and then he said, "I would not have even replied if I had known, that you were going to publish it". What is it? I would like to read this portion in which I had said: "I am glad at least I could foresee the evil flowing from big donations that you are facing today". If we had not collected these large sums, we might have lost a few seats but I am sure the prestige and the honour of the Congress would have remained untarnished and these allegations that are being made, not by members of the opposition parties only but also by members belonging to the Congress—fingers of accusations have been raised by equally responsible Congressmen—against Congressmen, this would not have happened. What does it matter if we lose a general election? The Congress which could fight a foreign power, get into power, I am sure, can dislodge any party which comes into power if it loses the elections on principles, not on persons or other issues.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) : You have given the purport of it. Is it necessary to read it?

SHRI MOHAN LAL SAKSENA: I would like to because I do not want anybody to say that I have been unfair to him. I would like somebody to read it—only one portion

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): No, you have to read it. Nobody can read it for you. But you have very elaborately explained it. It is not necessary to strain yourself by reading it.

SHRI MOHAN LAL SAKSENA: Having said that, I am still opposed to these big donations being given either by institutions or by companies, as has been permitted under the Company Law for the simple reason that it is the money of the shareholders. If 'A' or 'B' is interested in boosting up or supporting a particular party, he may contribute but not out of the funds of a particular concern. That is why I had made a definite suggestion that it is only active members who should be allowed to give more than Rs. 10,000 and for the expenses receipts should be obtained.

Now, you are aware that after the Kamaraj Plan there is a Committee working in the A.I.C.C. to lay down some rules regarding collection of funds and their disbursement. I hope that Committee will consider and keep in mind the past experience and will devise ways and means to set an example to other parties, not only to regulate collections or to set its house in order. I am one of those who believe that it is the duty of the ruling party because there is no other party in this country which can rise equal to the occasion or which can replace it. It should not only run the administration and the party organisation in such a manner as will win the admiration of others—even of the opposition parties. Therefore, I submit that in the first place, the Government should set up a high-powered commission to examine the working of the election laws and to make recommendations as to how these loopholes can be plugged to avoid a repetition of the malpractices and the play of money as we have seen during the past two elections. That is one suggestion.

The other suggestion is that there should be a Code of Conduct for the parties as well as for the candidates. Unless we have that, we cannot enforce anything. After all, there is the U.N. Organisation where we have Soviet Russia and America working together for years now. They have their own views, they have their different approaches but still they have some

agreed principles on which they have to make certain approaches to world problems. Similarly my suggestion is, let the leaders of the parties come together. I am sorry Dr. Rajendra Prasad is dead and I had hoped that he could very well play this role; he could do that very well but it was not the will of God that he should be with us. So, even then it is the responsibility of everyone who had worked under Mahatma Gandhi, who has derived inspiration from him and everyone of us swears by his name and refers to him again and again, but let us not forget his ideas and ideals, and what are they? I had made suggestions and one of the suggestions was that Mahatma Gandhi's name should not be used by any party even as they are not permitted to use the national flag or other national symbols because Gandhiji's name is a national symbol and he was the Father of the Nation. What does it mean?

SHRI LOKANATH MISRA: The Congress uses it as it pleases.

SHRI MOHAN LAL SAKSENA: I say that it should not be allowed. It should not be allowed because after all it is the national symbol.

There are electoral offences and malpractices, that nobody should appeal in the name of castes or communities and all that, but we know that not only appeals are made but also candidates are set up and considerations of castes and communities are given due weight by all the parties. Not only that, candidates are set up simply to divide the votes of particular castes or communities, with the result that there are so many candidates and therefore the interests of the voters suffer. We have a law to regulate the working of Trusts. We have a law to control the working of companies and so on. These laws are designed to safeguard the interests of shareholders holding shares of Rs. 10. But is there any law to safeguard the interests of the people in this matter, to safeguard democracy and freedom? Is it not

[Shri Mohan Lai Saksena.]

necessary that there should be a law to regulate the formation and functioning of political parties—Congress party or any other party? There should be that law. Unless we have such a law, I am afraid, the way parties are working, shows we are on the downward trend. During the last ten or twelve years, no party has gained in stature or strength. Even the Congress party during the last elections has lost more seats than in previous elections. The number of seats that the Congress party lost in the Second General Elections was larger than the number that it lost in the first General Elections and it lost a still larger number in the Third General Elections. What has been the position? If five voters voted in favour of the Congress, six voted against it. If that is the position, is it democracy? In a democracy, if the people want a particular party to be in power, that party should be in power. It is not because of the strength of the Congress party that it has won majority but because of the differences in the opposition parties. Therefore, I submit that to safeguard the interests of democracy and freedom, to safeguard the interests of the voters, there should be a law to regulate the formation and functioning of parties. It is not only one provision regarding election expenses, as has been suggested in Mr. Bhar-gava's Bill, that should be re-examined. It may serve as unction to guilty conscience, but I am sure it is not going to serve as a remedy; it is no remedy and it is no safeguard; it will not serve as a safeguard for democracy or would ensure fair-play in the elections.

With these words, I would like to conclude my observations. I may, however, add that I had even sent a Resolution to this House, but because of the emergency I did not press it. I had sent my suggestions to the Prime Minister and he was good enough to forward them to the Election Commission, because I had given several instances and I had quoted

many cases. I think it is the duty of the Government, of the Party in power—it is not enough if a Member moves a Bill—to come to some definite conclusions, in consultation with other parties, if necessary, and then they should take definite steps in the proper direction. I hope they will act. before it is too late.

شری عبدالغنی (پنجاب) : جب
میں اس بل کے موڑ پر نکلا کرتا ہوں
تو وہ ہندوستان کے عظیم ورکروں میں
ایک عظیم ورکر ہے - جب میں ان
کی اسپرٹ کو دیکھتا ہوں تو وہ
گاندھی جی کے اس ارشاد دوستیہ
اور اہلساء کے پجاری ہیں - سستیہ
کو باپو نے بڑا درجہ دیا - تو وہ
سمجھتے ہیں کہ اس سے سستیہ کا
ایک ایمان ہوتا ہے جو یہ ایک اہمیت
رکھی ہے تو کافی متوجہ دھیاں سے
جانا پڑتا ہے اس بات میں کہ ان کی
بات میں کافی وزن ہے - جب میں
اپنے ان معزز ساتھیوں کی تقریروں
پر جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ
یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سستیہ
کا ایمان ہوتا ہے - ہر ایک آدمی
کو چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو اسکو جو
ویٹرن دینے پڑتے ہیں الیکشن کمشنر
کو تو اس میں کافی باتوں کو چھپانا
پڑتا ہے - میں سمجھتا ہوں کہ
ہماری پارلیمنٹ میں جو آج ووٹوں
سے آئے ہیں ان میں سے کتنے بھائیوں
نے غلط بیانی کی اور غلط بیانی کے بعد آیا
ان کو اخلاقی طور پر رہنا چاہئے یا نہیں

رہنا چاہئے۔ اس پر جب میں وچا کرتا ہوں تو میں کرتا ہوں کہ شاید بہت سے مجبوری میں مسجروں کو اگر وہ اپنے اخلاق کو سامنے رکھیں تو شاید ان کو ریزائن کرنا پڑے۔

میں سمجھتا ہوں بھارگوا صاحب کے اس بل کو ہاؤس کو بڑی شان کے ساتھ پاس کرنا چاہئے۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ جس آزادی کے لئے جس قیموکریسی کے لئے ہزاروں خدا کے بندوں نے اپنی جانیں قربان کیں لاکھوں کنبوں نے اپنے آپ کو بیدار کیا شاید وہ ہمیں بیدار کرنے کی طرف پہلا قدم نہ اٹھالے۔ یہ بات یوں میں کہتا ہوں کہ آج نگ کا الیکشنوں کا تجربہ چناب وائس چور میں صاحب جو ہمارے سامنے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے غریب ورکر ہوتے ہیں ان کو تو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں پڑتی ہے۔ اور اگر کسی غریب ورکر کو کوئی پارٹی ہمت دلائے، انساہ دلائے تو وہ کھڑا تو ہو جاتا ہے لیکن جب تک الیکشن ختم نہیں ہوتا وہ ایک ایک دن کس طرح بتاتا ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ کیوں کہ آج کا الیکشن بہت ہی مہنگا ہو گیا ہے اور کوئی ورکر اس شان کے ساتھ جس شان کا وہ مستحق ہے جو اس کے پہلے کا گذرا ہوا زمانہ ہے اس کو۔

قربانیاں ہیں اس کی کتنی قیمت قوم کو ڈالنی چاہئے یا ووٹر کو ڈالنی چاہئے یہ خاصہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طوفان میں جو تمام پارٹیاں ایک دم سے بڑے زور سے روپیہ بہاتی ہیں تو لاکھوں ورکر بے بس ہو جاتے ہیں کہیں کہ ان کے پاس سادھن نہیں ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ پھر یہ دھماکا چلتا ہے کہ جو یہ قیمت مقرر کی گئی تھی اس وقت اس کی جو قیمت تھی آج شاید اس کا ۲۵ پرسنٹ بھی قیمت نہیں رہی کہیں کہ حالات نے نہ صرف کلوپس کو مہنگا نہ صرف پرنٹنگ کو مہنگا کیا نہ صرف اس بات کو کہ وہ کس طرح سے اپنے جاسوں کا انتظام کر سکیں کہیں کہ ان کے اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا بلکہ کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئیں تو وہ چاہے ووٹر ہو چاہے کاریہ کرتا ہو غیر سرکاری ہو سرکاری ہو اس کو بالکل ایک مجبوری کی حالت میں دھنا پوتا ہے۔ اور بہت خرچ کرنا پوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس قیمت کو جیسا کہ انہوں نے کہا اڑا دینا چاہئے کہ کوئی ریٹرن بھر کر دیا جائے کہ اتنا خرچ ہوا۔ کافی حد تک میرا ان کے ساتھ خیال کیا جاتا ہے لیکن پھر کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک اچھا آدمی یا ورکر

[شری عبدالغنی]

جس سے دیہی کا ہمت ہو جو کہ دیہی کی عزت اپنے کندھوں پر لینے کے لئے تیار ہو اور الیکشن لڑنا چاہے تو کہیں یہ پابندی ہٹانے کے بعد اس کا راستہ اور زیادہ مشکل نہ ہو جائے۔

وائس چیمبرمین صاحب - یہ ایک بڑا گنجھیر مسئلہ ہے اور ہمارے دیہی کا جو آنے والا زمانہ ہے اس سے اس کا بڑا تعلق ہے اس لئے میں کافی ذمہ داری سے اس پر وچار کرتا ہوں۔ مجھے جو تجربہ ہوا وائس چیمبرمین صاحب - میں نے پچھلے دنوں ہاؤس میں کہا تھا اور میں کسی ایک پارٹی کے لئے نہیں کہتا سب کے لئے کہتا ہوں۔ اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں کہ دیہی سب میں بڑا ہے یہ ہمارے ذہن میں آئے اور ہم دیہی کو بچائیں کئی باتوں میں ہم پارٹی کو بڑا مانتے ہیں۔ اور اس کی حد سے آگے نکل جاتے ہیں اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری ہستی کو پارٹی سے ترجیح دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ کاش - میں اس بات پر اپنے ان نیتوں کو راضی کر پاتا جو دیہی کی باگ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں اور آگے بھی سنبھالنے کی فکر میں ہیں۔ تو میں یہ عرض

کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہندوستان میں اتنی زیادہ تعلیم نہ پھیل جائے جب تک لوگ پوری طرح پر سیاسی ماحول سے واقف نہ ہو جائیں اس وقت تک ہمارے دیہی میں ایک اچھی گورنمنٹ نہیں بن سکتی جو اچھے آدمی اس میں آ سکیں انہیں لیا جائے۔ جو اچھے آدمی ہیں اگر وہ آتے ہیں تو انہیں اس بات کی فکر نہ ہو کہ کونسی پارٹی ہوگی جو رول کرے گی اور کس پارٹی کی مرضی کے مطابق ہم کو چلنا ہوگا۔ کاش میں اس بات پر راضی کر پاتا اپنے نیتوں کو جو ہمارے ووچر باپو کی باتوں کو بھول گئے ہیں جو کہ مہاتما گاندھی چاہتے تھے۔

مجھے بڑی خوشی ہے کہ سکسینہ

صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ کسی بھی پارٹی کو دیہی میں مہاتما گاندھی کا نام استعمال نہیں کرنا چاہئے اپنی کامیابی کے لئے اور دوسروں کو ناکام بنانے کے لئے۔ لیکن میں اس انکسٹ ہاؤس میں کہتا ہوں اور میں ایمان داری سے کہتا چاہتا ہوں کہ مہاتما گاندھی نے دماغ میں یہ بات تھی کہ اس ملک میں ہر بچپن بیٹنی پرائم منسٹر بنے اور رول کر دیتی بنے تو ان کے دماغ میں جو اس طرح کی بات تھی - اگر ہمارے ملک کے نہتے ایسا رنگ پھدا

لوگوں کو پہچانا ہے نو خاندان کو قربان کر دو۔ اگر دیس کو پہچانا ہے نو گاؤں کو قربان کر دو میرے کہہ کا مطلب یہ ہے کہ بہتوں کرشن نے کہا ہے کہ اگر دیس واسی کسی کو اپنی آزما کا خون کرنے کو دیا ہے تو وہ دیس کو بھی چھوڑ دے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ میں بہارگوا صاحب سے متفق نہیں ہوں اور میں اس بل کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔

میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جوائس چھوڑ میں صاحب کہ اس سے برائی کا حل نہیں نکلتا۔ وہ لوگ جو اسمبلی اور پارٹی کے ممبر بننے میں ان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جتنی رقم الیکشن میں لڑنے کے لئے قانونی طور پر مقرر ہے اس سے کہیں زیادہ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اور اس وجہ سے ان کو جب اسٹیٹمنٹ داخل کرنا پڑتا ہے تو وہ چھوٹا اسٹیٹمنٹ داخل کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس چھوڑ کو ہٹا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں نفاذ راستہ ہے۔ راستہ دو ہی ہو سکتے ہیں یا تو آپ یہ طے کر لیجئے کہ صرف اسمبلی کے لئے اسمبلی ہو پارلیمنٹ ہو اور اس میں وہی لوگ چالیں جو کہ ہزاروں اور لاکھوں روپیہ خرچ کر سکتے ہیں اور جو فریپ آدمی ہے چاہے کتنا ہی قابل کہوں نہ ہو چاہے کتنی ہی لیاقت کیوں

کر دیں اور لوگ یہ نہ دیکھ پائیں کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کون نہیجی ذات کا ہے اور کون اونچی ذات کا ہے تو اس سے ہم ایک نئی فضا ملک میں پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کے دماغ میں جو یہ سب سے بڑی بات تھی کہ ایک ہریجن لڑکی ملک کی پرائم منسٹر یا ریشترپتی بنے تو ان کی منشا یہ تھی کہ ہمارے جو الیکشن ہیں اسے جو چناؤ ہیں وہ ہر طرح سے برائی سے پاک ہوں ہر طرح کی مشکلات آسان ہوں اور ہر ایک کے لئے یہ چانس ہو کہ وہ اپنے دیس کی خدمت جس طرح چاہے کر سکے اور اس چھوڑ کا اے پورا موقعہ دیا جائے۔ میں اس طرح کی اسپرٹ نہیں لا سکتا ہوں اور نہ میں کسی کو راضی کر سکتا ہوں لیکن دیس سب سے بڑا ہے اور باقی چیزیں اس کے نیچے ہیں۔ ہمارے جو بڑے بڑے نہتا ہیں بڑے بڑے آدمی ہیں وہ سب دیس کے لئے ہیں دیس ان کے لئے نہیں ہے۔ دیس سب سے بڑا ہوتا ہے اس لئے میں نے پچھلے دنوں ایک بار کہا تھا۔ ایک تجربے کل کے لئے کل تجربے پورے ہیت پورے ہیت دیس کے۔ دیس تجربے جگ ہیت

اگر ایک خاندان کو پہچانا ہے تو ایک آدمی کو قربان کر دو۔ اگر ایک

[شری عبدالغلی]

نہ دکھتا ہو اس کے لئے کوئی چانس نہیں ہے آپ بھی یہ سائیں گے کہ سرکار چاہے کوئی بھی ہو اس کو بھی انڈسٹریلسٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے سرمایہ داروں کا سہارا لینا پڑتا ہے بڑے بڑے بزنس مینوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور اگر میں غلط نہ کہوں تو کئی جگہ تو وہ اپنے اختیارات کا نا جائز فائدہ اٹھاتی ہے۔

وائس چیرمین صاحب میں نے بھی پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر نے لاکھوں روپیہ جو پچلے الیکشن میں اکٹھا کیا تھا اپنے پاس ابھی تک جمع کر رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روپیہ مجھے الیکشن فنڈ میں دینا گیا تھا اور میرے گھر میں پڑا تھا۔ پتھریوں میں پڑا تھا اور کفڈوں کے بلڈلوں میں پڑا تھا اور اب میں دو برس کے بعد اس کو واپس کرنے جا رہا ہوں وہ اب دلہن بن گئے کہ لوگوں کا روپیہ دو برس بعد واپس کرنے جا رہے ہیں۔ اسمبلی سمیٹ کے لئے تو سات ہزار روپیہ قانونی طور پر ایک آدمی خرچ کر سکتا ہے تو انہوں نے اتنا روپیہ کیوں اکٹھا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پارٹی فنڈ کے لئے یہ روپیہ دیا گیا تو یہ روپیہ پارٹی کو کیوں نہیں دیا گیا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ سب پارٹیوں کے لئے دیا گیا تو سب پارٹیوں کو

کیوں نہیں دیا گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں ایک عجیب رنگ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو خرابی کا باعث ہوگا۔

آخر اس کا کیا حل نکالا جائے۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ میں انور صاحب کی عظیم الشان تقریر کو نہیں سن پایا لیکن میں سمجھتا ہوں وائس چیرمین صاحب! کہ بھارگوا صاحب جو ہمیشہ بلند خیال رکھتے ہوں۔ جن کی نیت بلند ہے جن کی عزت میں ہمیشہ کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا رنگ پیدا کریں کہ جس سے تیموکرپسی قائم رہے۔ چروٹے لوگ بھی آگے آسکیں۔ چھوٹے لوگ آزادی سے رائے دے سکیں۔ اگر اس طرح کا کوئی سادھن ہو سکتا ہے تو انہیں لانا چاہیئے بجائے اس کے کہ یہ ایمینڈمنٹ لائے۔ انہیں تو اس طرح کا ایمینڈمنٹ لانا چاہیئے تھا کہ آل انڈیا ریڈیو سے سب پارٹیاں اپنا مینیفیسٹو تیار کرے، اپنی خوبیاں بتا کرے اس کو براۓ کامت کریں کہ اس طرح کے ہمارے رد کر دیں اور طرح کے امیدواروں کو روت دیں ہمیں آل انڈیا بیسیز پر سب پارٹیوں کو ایک اس طرح کا پروگرام بنا لینا چاہیئے جس سے وہ ملک کے لوگوں کے سامنے اپنی پارٹی کا پروگرام رکھے

سکھیں - اگر ہم ایسرجنسی کے زمانہ میں ایک چکھہ اکتھا ہو سکھیں تو ہم پھر اس بات کا خیال کھوں نہیں کرتے کہ جو آنے والے الیکشن میں اس میں صرف پارٹی کا پیغام ہو اور ووٹروں کو کھلی چھوٹ دی جائے کہ وہ آدرشوں پر جو لوگ آئے ہیں انہیں ہی ووٹ دیں - اگر سب کو یہ بات ملھور ہو تو شاید ہی کوئی گڑبگ ایسا ہوگا کوئی دیہات ایسا ہوگا جہاں کہ آل انڈیا ریڈیو کی آواز نہ پہنچتی ہو - تو اس کے ساتھ ہی ساتھ سب پارٹیوں کے نمائندوں کی طرف سے ہلکی میں ریجنل لیگسلیچر میں اور انگریزی میں یہ نکل دیا جائے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ لوگ ووٹ دیں اگر ہم اس طرح کے پمفلٹ پوسٹ آفسز کے ذریعہ لوگوں کے گھر پہنچا دیں تو نہ ہمیں پبلک میٹنگ کرنی پڑے گی اور نہ ان میٹنگوں میں گرما گرمی آئے گی نہ ہم گندے اشتہار نکالیں گے نہ ہم کسی دوسرے پر حملہ کریں گے اور سب لوگ اس بات کی چرچا کریں گے کہ ہم نے فلن کو چن لیا ہے اس میں یہ اچھا تھا! میں اس کو ووٹ دینا چاہتی تھی چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا کھوں نہ ہو - جس دن ووٹ پڑیں گے اس سے ایک مہینے پہلے نہ کوئی جلسہ ہو نہ کوئی اشتہار بازی ہو نہ کوئی افسر کسی کو کوئی پرمٹ دے - نہ کسی کو لائسنس دے نہ اور کسی

کو اسٹیل سارٹیفیکٹ دیا جائے اور نہ ہی کسی کو قبضہ دیا جائے - اگر ایسا راستہ نکال دیا جائے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہ ہمیں ۲۵ سڑا خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ۷ ہزار خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی - یہ میں کہوں کہتا ہوں - آخر ہم سب دل و جان سے - کوئی بھی پارٹی ہو میرا یقین ہے کہ ڈیموکریسی میں سب کا ایمان ہے - چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی رہے - تو کوئی اس کا سادھن کھجائے ورنہ کوئی برائی ایک ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ صرف روپیے کی ہی برائی نہیں ہے - روپیے کی بھی برائی ہے - اپنی آتما کا خون کرنا پڑتا ہے جب کوئی ریٹرن دیتا ہے - اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ۲۵ ہزار کی جگہ ۷ لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے -

بڑے بڑے نمائندوں کی بات نہیں ہے جو میرے پہلے بھی آنریبل ممبر ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ نمائندوں کو چھوڑ دو - باقی تو سب تھوڑا خرچ کر کے ہوتے ہیں - میں جانتا ہوں کہ ایک زمانہ میں جب کانگریس کسی کے ساتھ ہو لکھنؤ میں تھی کہ یہ آپ کا خدمت گزار ہے اور ہم اہل کرتے تھے کہ لوگ اس کو ووٹ دیں تو مجھے یاد ہے کہ بڑے بڑے راجہ، بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے بڑے بھرسٹر لوگ، بڑے بڑے زمیندار لوگ ایک فریب سے فریب کے مقابلہ میں ہار

[شری مہدالغلی]

جانتے تھے لیکن آج مجھے پتہ ہے اور حالات کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ خدا نہ ہو جائے۔ اگر پلندہ جو اہل نہرو بھی آج دہرائیں کر کے مقابلہ کریں تو شاید وہ بھی ہار جائیں۔ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور آپ وہ تھکنگ اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کیجئے۔ انگریزوں کے مقابلہ میں یقیناً کانگریس ملک کی ایک واحد نمائندہ جماعت تھی اور اس میں سب پارٹیاں شامل تھیں چاہے وہ سوشلسٹ ہوں چاہے پرچا سوشلسٹ ہوں چاہے سونلتر ہوں چاہے جن سنگھ کے بھائی ہوں چاہے اکالی ہوں۔ چاہے کمیونسٹ ہوں وہ سب کے سب کانگریس کے چہلنے کے لئے تھیں۔ یہ بات الگ ہے کہ جب ہم نے آخری جنگ لڑی تو اس وقت کمیونسٹ بھائیوں کا دماغ پھٹس وار کی طرف چلا گیا تھا لیکن یہ سچ ہے کہ اس میں سب کے سب شامل تھے اور کانگریس ایک بڑی طاقت تھی۔ کانگریس ملک کی آزادی کے لئے تھی ملک کانگریس کے لئے نہیں تھا۔ اگر یہ بات دولنگ پارٹی کے دماغ میں آجائے جو اس وقت اکثریت میں ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہئے کہ پتہ نہیں ہم پانچ برس جیتیں دس برس جیتیں لیکن اس دہی کو سدا رہنا ہے اور اس وقت تک رہنا ہے جب تک

دنیا کا ناہی نہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں ہم کو سوچنا ہے کہ الیکشن کا ڈھنگ کیا ہو۔ اور اس کو آپ جتنا سادہان کر سکیں اتنا اچھا ہے۔

بھارگوا صاحب جو بل لائے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ الیکشن کمشنر کی اس پر کیا رائے آتی ہے لیکن مہرا یقین ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کو سب پارٹیوں کو مانگے لانا چاہئے۔ سوال یہ بھی ہے کہ یہ اتھ رہی سونلتر پارٹی جو دنوں میں خاصہ بڑھ گئی وہ کہیں بڑھ گئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ دولت کے زور پر بڑھ گئی اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ائیندہالوجی کے زور پر بڑھ گئے۔

وائس چیرمین صاحب۔ اس وقت کانگریس جو سب سے بڑا اپنا دھبہ مانتی ہے وہ سوشلزم کا دھبہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا رنگ چلایا جائے جس میں کافی ایکٹو آجائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ فریڈ اور امپر کا فرق جو ہے کم ہو جائے۔ آج کئی جگہ وہ فوق سوگنا کا ہے کئی جگہ تیس گنا کا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل معمولی رہ جائے۔ امریکہ جیسے ملک میں بھی ایک بڑے افسر کی تنخواہ میں اور ایک چھوٹے سپاہی کی تنخواہ میں دس گنا سے زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ تقریباً دس گنا ہوتا ہے۔ اگر

یہ میں مانتا ہوں کہ بہت کتھناٹھاں ہیں۔ جیسے کہ آپ یہاں وائس چیئر میں صاحب حکم دیتے ہیں کہ آئز ایک طرف ہرے بلب پر انگلی دکھوں اور جو نوز والے ہیں وہ فال بلب پر انگلی دکھوں اور جو نوٹرل ہیں وہ فال بلب پر انگلی دکھیں یہ میں مانتا ہوں کہ آج ایسا ممکن نہیں کہ گڑوں میں ہم یہ انتظام کر سکیں اور سارے دیس میں پانچ ملت میں ہی سب ملے ہو جائے اور کسی پر کسی طرح کا بوجھا بھی نہ پڑے۔ لیکن اگر مجھے معاف کیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے یہ دیکھا کہ چھپلے الیکشن میں قبل بھلت پیپر چھپتے۔ ان کے چھپلے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ جس طرح آج کوئی جعلی نوٹ شائع کرے تو اس کی ذمہ داری کانگریس سرکار پر نہیں ہے، فائنل مسٹر پر نہیں ہے، ریزرو بینک نے گورنر پر نہیں ہے بلکہ وہ ذمہ داری ہے اس پر کہ جو ایسا کرنا ہے۔ ہمارے پنجاب میں بھی جو قبل بھلت پیپر چھپتے ہیں اس کی کسی طرح سے بھی ذمہ داری الیکشن کمشنر یا ان کے استغاف پر نہیں ڈالتا لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات اس لئے ہوتی ہے کہ ایک پارٹی قسم کھائے ہوئے ہوتی ہے چاہے وہ اپوزیشن پارٹی ہو یا کانگریس پارٹی ہو کہ ہمیں دوسرے

کانگریس دل سے کہتی ہے کہ ہم سوشلزم لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس بات کی طرف آئیے کہ یہ خرچہ جو الیکشن کا ہے یہ قطعی ختم نہ ہو لیکن یہ نام ماتر رہ جائے اور نام ماتر بھی ہوں وہ جائے کہ ذاتی طور پر کوئی لذتِ قیامت بالکل اپنا خرچہ نہ کرے۔ اس کی قربانی یا اس کی قابلیت یا اس کی خدمت یا اس کی ہمت ان چاروں باتوں میں لوگ احساس کریں کہ اس کے جانے سے ہمارے دیس کا بھلا ہوگا۔ اگر یہ بات ہو جائے تو میں بھارتیہ صاحب کو جنہوں نے ایک نیا راستہ دکھایا ہے مبارک باد دیتا۔ ایسی صورت میں دیس انچا آئے گا دیس میں ایک ابھار آئے گا دیس میں یہ خیال آئے گا کہ دیس ہمارا ہے اور چائنا کیوں نہ ہو پاکستان کیوں نہ ہو، رشیا کیوں نہ ہو، امریکہ کیوں نہ ہو ہم سب کا مقابلہ کر پائیں گے۔ کیونکہ اس وقت سب سامنے سب سے پہلی قسم یہ ہوئی، یہاں آکر نہیں، کھڑے ہونے سے پہلے امہدوار جو بنا ہے اس کے سامنے کہ ہم کو اپنی ذات سے اپنے خاندان سے اپنی پارٹی سے دیس زیادہ پیارا ہے۔ جب اس بات کو ہم سامنے رکھیں گے اور اخراجات کی بالکل ممانعت کر دیں گے تو میرا یقین ہے کہ صرف پارٹیاں رہ جائیں گی جو ہرچیز کریں گی۔

[شری عبدالغلی]

کو گرانہ ہے۔ اور طاقت میں آنا ہے اس وقت نہ صرف ۲۰ ہزار کی بجائے دو دو لاکھ روپیہ خرچ ہو جانا ہے بلکہ وہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لئے شرم کا باعث بنیں گی۔ اس لئے آپ الیکشن کو سادہ کھجئے اور ایسی کوشش کھجئے کہ جب رائے لی جائے تو اس قہقہے سے لی جائے کہ ایک ہی وقت میں ہر گلوں میں بجائے اتنا ہوا استغاثہ بھجئے کے یا اگلے بڑے جو یہ جاتے ہیں آپ کے افسر اور ان کا ہوا عملہ اور اس کے انتظام کے لئے پولیس اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ جتنے بھی امیدوار ہوں ایک ہو دو ہوں سرکار ایسا انتظام کرے کہ وہ اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن پر اکٹھا ہو جائیں اور ان کا ایک ہی وقت میں جو ٹائم مقرر ہو جو بھی ٹائم آپ مقرر کریں اس میں فوٹو گراف ہو جائے اور وہ فوٹو گراف جو ہو وہ سرکار کے پاس پہنچ جائے۔ سرکار سے میری مراد ریگولنگ آفیسر سے ہے۔ تو اس میں یہ جو روٹیوں کا چھلکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کر کے کہوں یا کوئی کچھ کہتا ہو کر کے کہتے اس میں بھی کافی حد تک آسانی ہو جاتی ہے اور بہارنوا صاحب جو چاہتے ہیں کہ سچائی کا اظہار ہو وہ بھی ہو جائے گا کہ کس

کلیڈیٹ کے پاس کتنے لوگ ہیں۔ اس طرح ان کو کچھ خرچ کرنا نہیں پڑے گا اور اس ایمرجنسی کے زمانہ میں سرکار کا بھی خرچ کم ہو جائے گا اور سرکار جو ایمرجنسی میں انٹیکریشن چاہتی ہے وہ اموشل ہو تو شل ہو یا کسی طرح کا ہو اس کو بھی کوئی دھکا نہیں لگے گا۔

اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارے نیتا کن اس بات پر بھی آجائیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دیس اشوک جی کے زمانہ میں تھا یا اکبر کے زمانہ میں تھا یا چندرگپت کے زمانہ میں تھا اسی طرح سے دیس کو پھر خوشحال بنایا جائے اور جیسا پہلے تھکسا اور پٹائی پتر کی یونیورسٹیوں کی طرف ساری دنیا آتی تھی اسی طرح پھر سب ہندوستان کی طرف نگاہیں کھلے لگیں اور ہندوستان سوائے تعمیر کے تخریب کا نام نہ جانتا ہو اور تب نفرت جو پارٹیوں کے درمیان ہوتی ہے اس کو کم سے کم کیا جائے جو دیہات میں چھکڑے ہوتے ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے اور جو سچائی چاہتے ہیں بہارنوا صاحب وہ سچائی بھی ظاہر ہو سکے۔ اس کے لئے اور بھی کئی باتیں اور کئی اسکیمیں ہو سکتی ہیں جس سے سچائی زیادہ ابھرے اور اس لئے ابھرے کہ ہم اپنے دیس کی طاقت میں اضافہ کریں۔

جن نیتاؤں کے ساتھ میرا زندگی کا واسطہ رہا اور میں نے برسوں ہا برسوں ان کے ساتھ کاتے آچے میں ان سے کہتا چاہتا ہوں کہونکہ ان پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور ان کے بعد لڑو رہیں گے نیتاؤں سے بھی کہتا چاہتا ہوں کہ آخر طاقت کس لئے لیتے ہیں؟ طاقت اس لئے لیتا چاہتے ہیں کہ ہم دیہی کو سرو کریں دیہی کی ہم خدمت کریں۔ چاند کھنسی مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ بے شک سارے تالاب کو گندا کردیتی ہیں لیکن ان کی اچھا پوری ہوسکتی ہے سب کی اچھا پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ میں یہ بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت جو ہوتی ہے ممبروں کی وہ ایمان داری سے یہ چاہتی ہے کہ دیہی کا بھلا ہو۔ دیہی کا سلی دے لیکن آج وائس چیمبر میں صاحب ہمارے پرائم مینسٹر جن کا درجہ تھا میں بہت ہی بلند تھا خدا کرے ابھی بھی بلند ہو۔۔۔۔۔

شری اے۔ ایم۔ طارق : ہے

ابھی۔

شری شیل ستر یاہی : ہو کیا، سبھی بھی ہیں۔

شری عبد الغنی : سلی سے پہلے

ہی آپ بے قرار ہوئے طارق بھائی۔ اور یاچی جی میں نے تو ابھی کچھ کہا نہیں تھا۔

شری اے۔ ایم۔ طارق : ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے۔

شری عبدالغنی : اس وقت

جب میں نے کہا تھا اور جب میں نے چیلنج کیا تھا کہ پلٹت جی ریٹائن کریں اس وقت آپ کو چیلنج قبول کرنا تھا لیکن اس وقت آپ لوگ سوئے رہے۔ میں جانتا ہوں کہ آج بھی ان کا بڑا مان ہے۔ اب آپ خواہ ہوئے۔ ایسے عظیم آدمی کو بھی بعض اوقات اپنی پارٹی کو طاقت میں رکھنے کے لئے ایسی باتیں کرنی ہوتی ہیں اور اچھے من کے خلاف اپنی رائے کے خلاف وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پارٹی کے لئے ایسی باتیں کریں جی کو لوگ بالکل نہ مانیں۔

شری شیل ستر یاہی : گالت بات ہے۔

شری عبدالغنی : آپ اپنی بات

کہہ سکتے ہیں لیکن جو بات میری ہے وہ میں ہی کہوں گا۔

نکل جاتی ہے سچی بات

جس کے منہ سے مستی میں

لقمہ مصلحت ہوں

وہ رند بادہ خوار اچھا

میں اعلان سے کہہ سکتا ہوں کہ میں

آج بھی پلٹت نہرو کا زیادہ دوست

ہوں یہ مقابلہ ان کے جو ان کی

باتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں اور اس

طریقہ پر کرتے ہیں کہ جس سے دنیا

ان کا مذاق کرے جس سے مہذب

[شری عبدالغنی]

دنیا ہنسے اور ان کی چرچا کرے -
اس لئے وائس چیمبر میں
صاحب - میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر
ہماری ٹیم یہ ہے کہ الیکشن میں
جو بھی کنگریس ہوں ان کی
بسم اللہ ہی غلط نہ ہو کہ وہ لہذا ریٹرو
ہی غلط دیں بلکہ ان کی بسم اللہ
ٹھیک ہو تو اس کے بارے میں
ہمیں کچھ کرنا ہوگا - کہوں کہ
جب ان کی بکلیک ٹھیک ہوئی تو
ان کی اینڈ بھی شان دار ہوگی -
اس کے لئے میں آپ کے دواڑا وائس
چیمبر میں صاحب - سرکار سے کہتا
ہوں کہ وہ ایسے سادہن اختیار کرے
جس سے کہ کم سے کم خرچہ ہو غریب
سے غریب امیدوار بھی الیکشن لو سکے
اور مقابلہ میں کھڑا ہو سکے - اس
میں کوئی دقت آئے نہ لگے اور
ایسی صورت نہ ہو کہ کوئی سولٹر
پارٹی یا راجہ ہو گیا کوئی کانگریس
پارٹی کا نواب ہو یا کوئی جن سنگھ
کا راجہ ہو وہ غریب آدمی کو روکے
کے زور سے ہٹا دے - تو اگر آپ ایسا
سندھ دھیں کریں کہ جس میں کوئی
غریب سے غریب امیدوار بھی آسانی
سے کھڑا ہو سکے تو بہت بہتر ہوگا -
آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی
جانتے ہیں کہ الیکشن میں ایک
طرف چھپ کی قطاریں ہوتی ہیں
جیسا کہ چائنا کو ہٹانے کے لئے ایک
فوج جا رہی ہو اور دوسری طرف

غریب کے پاس ایک چھوٹا سا چھکڑا
بھی نہیں ہوتا - الیکشن میں آپ
کے سامنے ایسی باتیں آئی ہیں -
میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا ہوں
کہ جو انہونی بات ہو ایسا ہوا ہے
اس لئے کہتا ہوں - تو بھارگوا
صاحب بجائے اس کے کہ ایمپلمنٹ
لائن ان کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ
اپنا خلوص اپنی قابلیت اپنی رزق
اس بات پر نہیں کہ اس ہاؤس
میں بھی اور جو ہماری ٹوک سبھا
ہے اس میں بھی اس بارے میں ان
کی آواز پہنچے کہ سچائی اس بات
کا مطالبہ کرتی ہے دیہی اس بات
کی مانگ کرتا ہے کہ الیکشن کو
سادہ سے سادہ بنایا جائے -

وائس چیمبر میں صاحب - میں
یہ نہیں مانتا کہ چلتا ایمپلمنٹیشن
ہے اس میں سب کانگریس وچار کے
لوگ ہیں اس میں دوسرے وچاروں
کے بھی لوگ ہیں کچھ کمونسٹ
بھائیوں کے وچار کے ہوں گے کچھ
سولٹر پارٹی کے وچار کے ہوں گے کچھ
جن سنگھ بھائیوں کے وچار والے ہوں
گے اور اس لئے میں یہ نہیں کہتا
کہ صرف کانگریس ہی اپنے لئے
ایمپلمنٹیشن کو استعمال کرتی ہے
کہونکہ ایمپلمنٹیشن میں کئی طرح
کے لوگ ہیں لیکن یاد رکھئے کہ
ایمپلمنٹیشن کو گنگا جمن کے سانچے
ہونا چاہئے - جیسے گنگا اور جمن

ہوں کہ الیکشن میں انہوں نے
بدنیتی نہیں کی کوئی قہرلیکھت پیوہر
نہیں چھاپا کوئی ایڈمنسٹریشن کا
استعمال نہیں کیا مگر آج یہ سب
ہو رہا ہے۔ تو بہارگوا صاحب سے
وائس چیرمین صاحب۔ آپ کے
دواڑا اور بہارگوا صاحب کے دواڑا میں
ایسی مزاکرہ ہے کہنا چاہتا ہوں کہ
یہ تباہی کا باعث ہوگا۔ اس لئے
آئیے ایک ایسا راستہ نکالیں جس
سے کہ پارٹی ایذا مہینسٹر شائع
گردے اور پھر بعد میں کچھ کرلے کو
نہ دے۔ میں تو کہوں گا کہ سب
پارٹیوں کا ملتا جلتا مہینسٹر ہو۔
وہ دف یہ کہدے کہ یہ ہمارا نمائندہ
ہے اور آپ اس کو ووٹ دو۔ اتنا کہدیلے
کے بعد کوئی کہوں نہیں جائے اور
کچھ نہ کرے۔ ایسا ہے تو اس میں
سب کو آسانی بھی پیدا ہو جائے
لی اور کسی کو ریٹرن بھی نہیں
دینا ہوگا سوائے اس ریٹرن کے کہ میں
کامیاب ہو گیا وہ بھی ریٹرننگ
آفیسر دے دیتا۔ اگر ایسا ہو تو پھر
کوئی دقت نہیں آئے گی۔

وائس چیرمین صاحب۔ میں
ایک آخری بات کی طرف آپ کی
توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے
کہ میرے ایسا کہنے پر کچھ پارٹیاں
کہیں گی کہ کچھ باتیں ایسی ہیں
جن میں کہ ہمارے اصولوں میں اور
دوسروں کے اصولوں میں اختلاف

لاکھوں ورشوں سے یا کروڑوں ورشوں سے
بہتی ہے اور اس کے کنارے پر کہی
ہوں آئے کہی آریہ آئے کہی پتھان
آئے کہی تغلق آئے کہی مغل آئے
اور اب وہ آئے ہیں لیکن بہتی
ہے۔ ناستک ہو آستک ہو وہ سب
کے لئے ہے۔ تو ایڈمنسٹریشن کو گنگا
اور جمنا بنائے اور الیکشن میں
اگر ایڈمنسٹریشن کا استعمال کریں
گے تو وہ تباہی کا دن ہوگا۔
الیکشن میں ایڈمنسٹریشن کا
استعمال یا ایمرجنسی کے دور میں
اس کا استعمال جتنا زیادہ ہوگا اتنا
ہی زیادہ تباہی کا باعث وہ ہوگا۔
تو اگر آپ ایسا کوئی راستہ نکالیں گے
جس سے یہ چیز نہ ہو تو میرا یقین
ہے کہ پھر سے وہی بات پیدا ہو جائے
کی جو کہ گاندھی جی کے وقت میں
تھی کہ ایک آواز دی اور جس کسی
کو کھڑا کر دیا وہ ہو گیا۔ اس زمانہ
میں اتنا ہی کہنے سے کہ یہ کانگریس
کا ہے اس کی جھٹ ہو جاتی تھی اور
یہ کہنے سے کہ وہ انگریز کا ہے اس
کی ہار ہو جاتی تھی۔ انگریز کے
بڑے سے بڑے آدمیوں کی ہار ہو
جاتی تھی۔ انگریزوں کی کتلی بھی
نہیں کہوں نہ کروں کہونکہ وہ ہمارے
دیس پر قابض تھے میں نے ہر س ہا
ہر س ارے کا مقابلہ کیا ان کے ہر قدم
کو اکھاڑنے کی کوشش کی لیکن ایک
بات میں قنکے کی چوٹ پر کہتا

[شری عبدالغنی]

ہے جیسا کہ کئی دنوں سے پرائیویٹ
سنگر اور پبلک سیکٹر کا جھگڑا چلتا
رہا ہے اور جیسے کہ کمونزم ہے گاندھی
ازم ہے اور نہ جانے کتنے ازم ہیں اور
ان کا جھگڑا چلتا ہے مگر یہ سب
ازم اور ساری پارٹیاں آخر دیہی
واسطوں کے لئے ہیں آخر دیہی
واسطوں کی بھلائی کے لئے ہیں
اس لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر
آپ وچار کریں اور مہری درخواست
پر فور کریں۔ آج آپ یہ نہ کریں
یا کل آپ یہ نہ کریں
لیکن کہی نہ کہی تو کرنا ہی ہو
گا۔ سب پارٹیوں کو مل جل کر کام
کرنا ہی ہے کیونکہ کانگریس کتنی
بھی آگے بڑھ جائے لیکن پھر بھی ہو
سکتا ہے کہ کوئی دوسری پارٹی آجائے۔
سوشل پارٹی آگے بڑھ جائے یا
کمونسٹ پارٹی آگے بڑھ جائے یوں
کمونسٹ پارٹی سے تو میں امید
کرنا نہیں رہا تو پھیلنے والے ساتھ
ہی ختم ہو چکی ہے لیکن کہی
کوئی بھی آسکتا ہے۔ کوئی بھی آگے
مجھے بس سے جھگڑا نہیں ہے۔
میں تو عرض کیا چاہتا ہوں کہ سب
کو مل کر کام کرنا ہے اور اپنے دیہی
کی بھلائی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے
وچاروں کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔
چاہے اس معاملہ میں طارق صاحب
یا باجی جی کچھ بھی کہیں۔ آج

میں اس موقع میں نہیں ہوں اور
مجھے ان سے کوئی جھگڑا کرنا
نہیں ہے۔

श्री अमृत चरोड़ा: बहुत खुशी की बात
है।

شری عبدالغنی: جی ہاں۔
مجھے اور زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے
بھارتیہ صاحب سے بھی عرض کرنی
ہے کہ وہ گھبراتا ہے ساتھ اس پر
وچار کریں جس سے کہ کسی طرح
سے قہرورسی بھی بچ جائے اور
کسی طرح سے مان بھی قائم رہے۔
جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے اور دیہی
کی خدمت بھی کسی طرح سے ہو
جائے۔ وائس چور میں صاحب۔
میں بھارتیہ صاحب کا شکر گزار ہوں
اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ
نے مجھے موقع دیا اور باجی جی
کا بھی شکر گزار ہوں طارق صاحب
کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ عین
موقع پر سوئے رہے۔ میں امید کرتا
ہوں کہ ہاؤس کے اٹنہیل ممبران
مہری اس مودبانہ گزارہ پر توجہ
دہلے۔

†[श्री अब्दुल गनी (पंजाब): जब मैं इस
बिल के मूवर पर निगाह करता हूँ तो वह
हिन्दुस्तान के अजीम वर्करों में एक अजीम
वर्कर है। जब मैं उनकी स्फिरिट को देखता
हूँ तो वह गांधी जी के इस इरशाद "सत्य और
आहिंसा" के पुजारी हैं। सत्य तो बापू ने
बड़ा दर्जा दिया। तो वह समझते हैं कि इससे
सत्य का एक अपमान होता है जो यह एक

†[] Hindi transliteration.

[श्री अब्दुल ग़नी]

लिमिट रखी है, तो काफी मुझे ध्यान से जाना पड़ता है। इस बात में कि उनकी बात में काफ़ी बज़न है। जब मैं अपने इन मुअज़्ज़िज़ साथियों की तक़रीरों पर जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि वे यह समझते हैं कि इसमें सत्य का अपमान होता है। हर एक आदमी को चाहे वह कितना ही बड़ा हो, उसको जो रिटर्न देने पड़ते हैं इलेक्शन कमिशनर को तो उसमें काफी बातों को छुपाना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट में जो आज वोटों से आये हैं, उनमें से कितने भाईयों ने ग़लत बयानी की और ग़लत बयानों के बाद आया उनको इख़लाकी तौर पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इस पर जब मैं विचार करता हूँ तो मैं डरता हूँ कि शायद बहुत से, मेजॉरिटी में, मँबरों को, अगर वे अपने इख़लाक को श्रामने रखें तो शायद उनको रिज़ाइन करना पड़े।

मैं समझता हूँ कि भागवत साहब के इस बिल को हाऊस को बड़ी शान के साथ पास करना चाहिए। लेकिन मुझे डर लगता है कि जिस आजादी के लिए, जिस डेमोक्रेसी के लिए, हजारों ख़दा के बन्दों ने अपनी जानें कुर्बान कीं, लाखों कुनबों ने अपने आपको बरबाद किया, शायद वे हमें बरबाद करने की तरफ़ पहला कदम न उठा लें। यह बात यूँ मैं कहता हूँ कि आज तक का इलैक्शन का तज़ुर्बा ज़नाब वाइस चेयरमैन साहब, जो हमारे सामने है उसमें हम यह देखते हैं कि जितने ग़रीब वॉकर होते हैं उनको तो खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ती है। और अगर किसी ग़रीब वॉकर को कोई पार्टी हिम्मत दिलाए, उत्साह दिलाए, तो वह खड़ा तो हो जाता है, लेकिन जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होता वह एक-एक दिन किस तरह बिताता है यह खुदा ही बेहतर जानता है। क्योंकि आज का इलैक्शन बहुत ही मंहगा हो गया है और कोई वॉकर उस शान के साथ जिस शान का वह मुस्तहक़ है, जो उसके पहले का गुज़रा हुआ ज़माना है, उसकी क़ुर्बानियाँ हैं, उसकी कितनी कीमत कौम को

डालनी चाहिए, या वोटर को डालनी चाहिए यह खासा मुश्किल हो जाता है कि इस तूफ़ान में जो तमाम पार्टियाँ एक दम से बड़े जोर से रुपया बहाती हैं, तो लाखों वॉकर बेबस हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास साधन नहीं हैं कि वे उनका मुकाबिला कर सकें। फिर यह ध्यान जाता है कि जो यह लिमिट मुकर्रर की गयी थी उस वक़्त उसकी जो कीमत थी आज शायद उसका पच्चीस परसेंट भी कीमत नहीं रही क्योंकि हालात ने न सिर्फ़ कनवेयंस को मंहगा, न सिर्फ़ प्रिटिंग को मंहगा किया न सिर्फ़ इस बात को कि वे किस तरह से अपने जलसों का इन्तज़ाम कर सकें, क्योंकि उनके अख़राजात में बहुत ज्यादा इज़ाफ़ा हो गया, बल्कि खाने पीने की चीज़ें भी मंहगी हो गयीं। तो वह चाहे वोटर हो, चाहे कार्यकर्ता हो, गैर-सरकारी हो, सरकारी हो, उसको बिल्कुल एक मजबूरी की हालत में रहना पड़ता है और बहुत खर्च करना पड़ता है। तो मैं यह समझता हूँ कि इसमें इस लिमिट को जैसा कि उन्होंने कहा है उड़ा देना चाहिए कि कोई रिटर्न भर कर दिया जाए कि इतना खर्चा हुआ। काफी हद तक मेरा उनके साथ ख़याल जाता है, लेकिन फिर डरता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छा आदमी या वॉकर जिससे देश का हित हो, जो कि देश की इज़्ज़त अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार हो, और इलैक्शन लड़ना चाहे तो कहीं यह पाबन्दी हटने के बाद उसका रास्ता और ज्यादा मुश्किल न हो जाए।

वाइस चेयरमैन साहब, यह एक बड़ा गम्भीर मसला है और हमारे देश का जो आने वाला ज़माना है, उससे इसका बड़ा ताल्लुक है। इसलिए मैं काफी जिम्मेदारी से इस पर विचार करता हूँ। मुझे जो तज़ुर्बा हुआ, वाइस चेयरमैन साहब, मैंने पिछले दिनों हाऊस में कहा था और मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहता सब के लिए ही कहता हूँ, अपने आपको शामिल करके ही कहता हूँ कि देश सब में बड़ा है। यह हमारे ज़हन में आए और हम देश को बचाएँ। कई बातों में हम पार्टी को

बड़ा मानते हैं। और इसकी हद से आगे निकल जाते हैं और हर आदमी यह समझता है कि मेरी हस्ती पार्टी से बड़ी है। इसलिए वह अपने आपको और अपनी हस्ती को पार्टी से तरजीह देता है और अपने आपको भूल जाता है। काश मैं इस बात पर अपने इन नेताओं को राजी कर पाता जो कि देश की बागडोर संभाले हुए हैं और आगे भी संभालने की फिक्र में हैं। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जब तक हिन्दुस्तान में इतनी ज्यादा तालीम न फैल जाए जब तक कि लोग पूरी तौर पर सियासी माहौल से वाकिफ न हो जाएं उस वक्त तक हमारे देश में एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं बन सकती। जो अच्छे आदमी इसमें आ सकें उन्हें लिया जाए। जो अच्छे आदमी हैं अगर वो आते हैं तो उन्हें इस बात की फिक्र न हो कि कौन सी पार्टी होगी जो रूल करेगी और किस पार्टी की मर्जी के मुताबिक हमको चलना होगा। काश मैं इस बात पर राजी कर पाता अपने नेताओं को जो हमारे पूज्य बापू की बातों को जूल गए हैं जो कि महात्मा गांधी चाहते थे।

मुझे बड़ी खुशी है कि सक्सेना साहब ने अपनी तकरीर में यह कहा कि किसी भी पार्टी को देश में महात्मा गांधी का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी कामयाबी के लिए और दूसरों को नाकाम बनाने के लिए। लेकिन मैं इस आगस्ट हाऊस में खड़ा हूँ और मैं इमान्दारी से कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के दिमाग में यह बात थी कि इस मुल्क में हरिजन बेटी प्राइम मिनिस्टर बने और राष्ट्रपति बने, तो उनके दिमाग में इस तरह की बात थी। अगर हमारे मुल्क के नेता ऐसा रंग बैदा कर दें और लोग ये न देख पाएं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन नीची जात है और कौन ऊंची जात का है तो इससे हम एक नयी फ़िज्दा मुल्क में पैदा कर सकते हैं। उनके दिमाग में जो ये सबसे बड़ी बात थी कि एक हरिजन लड़की मुल्क की प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति बने, तो उनकी मन्था यह थी कि

हमारे जो इलैक्शन हैं, हमारे जो चुनाव हैं, वह हर तरह से बुराई से पाक हों, हर तरह की मुश्किलत आसान हों, और हर एक के लिए यह चान्स हो कि वह अपने देश की खिदमत जिस तरह चाहे कर सके। और इस चीज का उसे पुरा मौका दिया जाए।

मैं इस तरह की स्पिरिट नहीं ला सकता हूँ और न मैं किसी को राजी कर सकता हूँ, लेकिन देश सबसे बड़ा है और बाकी चीजे उसके नीचे हैं। हमारे जो बड़े-बड़े नेता हैं, बड़े-बड़े आदमी हैं वे सब देश के लिए हैं, देश उनके लिए नहीं है। देश सबसे बड़ा होता है, इसलिए मैंने पिछले दिनों एक बार कहा था—

इक तजे कुल के लिए कुल तजे पुरहित,
पुर तजे हित देश के देश तजे जग हित।

अगर एक खानदान को बचाना है तो एक आदमी को कुर्बान कर दो। अगर एक गांव को बचाना है तो खानदान को कुर्बान कर दो। अगर देश को बचना है तो गांव को कुर्बान कर दो। मेरे कहने का मतलब यह है कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर देश वासी किसी को अपनी आत्मा का खून करने को कहता है तो वह देख को भी छोड़ दे। मेरा कहना यह है कि मैं भार्गव साहब से मुतफ़िक् नहीं हूँ और मैं इस बिज की मुख़ालिफ़त करना चाहता हूँ।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ, वाइस चेयरमैन साहब, कि इससे बुराई का हल नहीं निकलता। वो लोग जो एसम्बली और पार्टी के मम्बर बनते हैं उनको यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि जितनी रकम इलैक्शन में लड़ने के लिए कानूनी तौर पर मुकर्रर है उससे कहीं ज्यादा उन्हें खर्च करना पड़ता है, और इस वजह से उनको जब स्टेटमेंट दाखिल करना पड़ता है तो वे झूठा स्टेटमेंट दाखिल करते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि इस चीज को हटा दिया जाय तो मैं समझता हूँ कि यह गलत रास्ता है। रास्ते दो ही हो सकते हैं या तो आप यह तय कर लीजिये कि सिर्फ़ अमीरों के लिए

एसम्बली हो, पालियामेंट हो, और उसमें बोही बोग जाएं जो कि हजारों और लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं, और जो गरीब आदमी है, चाहे कितना ही काबिल क्यों न हो, चाहे कितनी ही लियाकत क्यों न रखता हो, उसके लिए कोई चान्स नहीं है। आप भी यह मानेंगे कि सरकार चाहे कोई भी हो, उसको भी इन्डस्ट्रियलिस्ट का सहारा लेना पड़ता है, सरमायेदारों का सहारा लेना पड़ता है और बड़े-बड़े बिजनेसमैनों का सहारा लेना पड़ता है। अगर मैं गलत न कहूं तो कई जगह तो वह अपने भक्तियारों का नाजायज फायदा उठाती है।

बाइस चेयरमैन साहब, मैंने भी पढ़ा और आपने भी पढ़ा होगा कि हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने लाखों रुपया जो पिछले इलेक्शन में इकट्ठा किया था अपने पास अभी तक जमा कर रखा था। वे कहते हैं कि यह रुपया मुझे इलेक्शन फंड में दिया गया था और मेरे घर में पड़ा था; पुड़ियों में पड़ा था, और कागजों के बंडलों में पड़ा था और अब मैं दो बरस के बाद उसको वापिस करने जा रहा हूं। वे अब दिलेर बन गए कि लोगों का रुपया दो बरस बाद वापिस करने जा रहे हैं। एसम्बली सीट के लिए तो सात हजार रुपया कानूनी और पर एक आदमी खर्च कर सकता है तो उन्होंने इतना रुपया क्यों इकट्ठा किया? वे कहते हैं कि पार्टी फंड के लिए यह रुपया दिया गया, तो यह रुपया पार्टी को क्यों नहीं दिया गया? अगर वे कहते हैं कि सब पार्टियों के लिए दिया गया तो सब पार्टियों को क्यों नहीं दिया गया? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी सूरत में एक अजीब रंग हमारे सामने आ जाता है जो खराबी का बाइस होगा।

आखिर हम का क्या हल निकाला जाए। मैं अफसोस करता हूं कि मैं अतवर साहब की अजीमुलशन तकरीर को नहीं सुन पाया। लेकिन मैं समझता हूं बाइस चेयरमैन साहब, कि भार्गव साहब जो हमेशा बुलन्द खयाल रखते हैं जिनकी निधत बुलन्द है, जितनी

इज्जत मैं हमेशा करता था और हमेशा करता रहूंगा, मैं उनसे भर्ज करना चाहता हूं कि वे कोई ऐसा रंग पैदा करें जिससे डिमांडेरी कायम रहे। छोटे लोग भी आगे आ सकें। छोटे लोग भी आजादी से राय दे सकें। अगर इस तरह का कोई साधन हो सकता है तो उन्हें लाना चाहिये बजाय इसके कि ये एमेंडमेंट लाते। उन्हें तो इस तरह का एमेंडमेंट लाना चाहिये या कि आल इंडिया रेडियो से सब पार्टियां अपना मैनीफेस्टो तैयार करके, अपनी खूबियां बता कर के, उस को बाइकास्ट करें कि इस तरह से कि हमारे वक्ता हैं और इस तरह के उम्मीदवारों को बोट दें। हमें आल इंडिया बेसिस पर सब पार्टियों को एक इस तरह का प्रोग्राम बना लेना चाहिये जिससे वे मुल्क के लोगों के सामने अपनी पार्टी का प्रोग्राम रख सकें। अगर हम एमरजेंसी के जमाने में एक जगह इकट्ठा हो सकें तो हम फिर इस बात का खयाल क्यों नहीं करते कि जो आने वाले इलेक्शन हैं उनमें सिर्फ पार्टी का पैगाम हो और वोटों का खूनी छूट दी जाय कि वे इन आदशों पर जो लोग आते हैं उन्हें ही बोट दें? अगर सबको यह बात मंजूर हो तो शायद ही कोई गांव ऐसा होगा, कोई देहात ऐसा होगा जहाँ कि आल इंडिया रेडियो की आवाज न पहुंचती हो। तो इसके साथ ही साथ सब पार्टियों के नेताओं की तरफ से हिन्दी में, रीजनल लैंग्वेज में, और अंग्रेजी में यह निकाल दिया जा कि हम यह चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आप बोट दें। अगर हम इस तरह के "म्प्लेट पोस्ट आफिसेज के जरिये लोगों के घर पहुंचा ~ तो न हमें पब्लिक मीटिंग करनी पड़ेगी और न इन मीटिंगों में गरमागर्मी आएगी, न हम गन्दे इशतहार निकालेंगे न हम किसी दूसरे पर हमला करेंगे, और सब लोग इसी बात की चर्चा करेंगे कि हमने फलों को खून लिया है, उसमें ये अच्छाईयां हैं, उसको ही बोट देना चाहिये, चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो। जिस दिन बोट पड़ेंगे उससे एक महीने पहले न कोई जलसा हो, न कोई

[श्री अब्दुल गनी]

इश्तहार बाजी हो, न कोई अफसर किसी को कोई परमिट दे, न किसी को लाइसेंस दे और न किसी को इंडेंशियल सर्टिफिकेट दिया जाय, और न ही किसी को कर्जा दिया जाए। अगर ऐसा रास्ता निकाल दिया जाय तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि न हमें पच्चीस हजार खर्च करने की जरूरत पड़ेगी और न सात हजार खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। ये मैं क्यों कहता हूँ। आखिर हम सब दिलो जानसे—कोई भी पार्टी हो, मेरा यकीन है कि डेमोक्रेसी में सबका ईमान है—चाहते हैं कि डेमोक्रेसी रहे। तो कोई इसका साधन कीजिये, बरना कोई बुराई एक है? आप जानते हैं कि सिर्फ रुपए की ही बुराई नहीं है—रुपये की भी बुराई है—अपनी आत्मा का खून करना पड़ता है। जब कोई रिटर्न देता है, उस को पता होता है कि मैंने पच्चीस हजार की जगह सान लाख रुपया खर्च किया है।

बड़े बड़े नेताओं की बात नहीं है। जो मेरे पहले भी धनरेबुल मैम्बर बोले उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को छोड़ दो, बाकी तो सब थोड़ा खर्च करके होते हैं। मैं जानता हूँ कि एक जमाने में जब कांग्रेस किसी के माथे पर लिख देती थी कि यह आप का खि गुजर है और हम अपील करते थे कि लोग इस को बोट दें तो मुझे याद है कि बड़े बड़े राजा, बड़े-बड़े अमीर लोग, बड़े-बड़े बैरिस्टर लोग, बड़े अमीदार लोग एक गरीब से गरीब के मुकाबले में हार जाते थे। लेकिन आज मुझे यह डर है कि और हालात का तकाजा यह है कि आप खफा न हो जाइए अगर पं० जवाहर लाल नेहरू भी आज रिजाइन कर के मुकाबिला करें तो शायद वे भी हार जाएं। दुनिया के हालात बदलते रहते हैं और आप वह थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल ने को कोशिश कीजिये। अंग्रेजों के मुकाबले में यकीनन कांग्रेस मुल्क की एक वाहिद नुमाइन्दा जमात थी और उसमें सब पार्टियां शामिल थीं। चाहे वह सोशलिस्ट हो चाहे प्रजा सोशलिस्ट हो, चाहे स्वतन्त्र हो, चाहे

जनसंघ के भाई हों, चाहे अकाली हों, चाहे कम्युनिस्ट हों—वे सब के सब कांग्रेस के झंडे के तले थीं। यह बात असल है कि जब हमने आखरी जंग लड़ी तो उस वक्त कम्युनिस्ट भाइयों का दिमाग पीपुल्स वार की तरफ चला गया था। लेकिन यह सच है कि उस में सब के सब शामिल थे और कांग्रेस एक बड़ी ताकत थी। कांग्रेस मुल्क की आजादी के लिये थी, मुल्क कांग्रेस के लिए नहीं था। अगर यह बात रूलिंग पार्टी के दिमाग में आ जाए जोकि इस वक्त अक्सरियस में है तो उस को यह सोचना चाहिये कि पता नहीं कि हम पांच बरस जीएं, दस बरस जियें, लेकिन इस देश को सदा रहना है और उस वक्त तक रहना है जब तक दुनिया का नाश न हो जाए। तो ऐसी सूरत में हम को सोचना है कि इलैक्शन का डंग क्या हो और इस को आप जितना साधारण कर सकें उतना अच्छा है।

भागवत साहब जो बिल लाये हैं मुझे पता नहीं इन्क्वेशन कमिश्नर की उस पर क्या राय आई है। लेकिन मेरा यकीन है कि अगर यह ठीक है तो उस को सब पार्टियों के सामने लाना चाहिये। सवाल यह भी है कि यह उठ रही स्वतन्त्र पार्टी जो दिनों में खासा बढ़ गयी वह क्यों बढ़ गयी। कोई कह सकता है कि वह दोन के जोर पर बढ़ गयी और वे कह सकते हैं कि हम अपनी आइडियालाजी के जोर पर बढ़ गये।

वाइस चेयरमेन साहब, इस वक्त कांग्रेस जो सब से बड़ा अपना ध्येय मानती है वह सोशलिज्म का ध्येय है। वे चाहते हैं कि ऐसा रंग जमाया जाये जिस में काफी एकता आ जाये और उसमें ज्यादा से ज्यादा गरीब और अमीर का फर्क जो है कम हो जाए। आज कई जगह वो फर्क सौ गुना का है, कई जगह तीस गुना का है, और वे चाहते हैं कि वह बिल्कुल मामूली रह जाये। अमीर का जैसे मुल्क में भी एक बड़े अफसर की तनख्वाह में और एक छोटे सिपाही की तनख्वाह में

दस गुना से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तकरीबन दस गुना पड़ता है। अगर कांग्रेस दिल से कहती है कि हम सोशलिज्म लाना चाहते हैं तो आप फिर इस बात की तरफ आइए कि वह खर्चा जो इलैक्शन का है यह कतई खत्म न हो, लेकिन यह नाम मात्र रह जाए, और नाम मात्र भी यूँ रह जाए कि जाती तौर पर कोई कैंडिडेट बिल्कुल अपना खर्चा न करे। उसकी कुर्बानी या उसकी कारबलियत या उसकी खिदमत या उसकी हिम्मत इन चारों बातों में चोग ऐहसास करें कि इस के जाने से हमारे देश का भला होगा। अगर यह बात हो जाए तो मैं भार्गव साहब को जिन्होंने एक नया रास्ता दिखाया है मुबारकबाद दूंगा। ऐसी सूरत में देश ऊंचा उठेगा, देश में एक नया उभार आएगा, देश में यह ख्याल आएगा कि देश हमारा है, और चाईना क्यों न हो, पाकिस्तान क्यों न हो, रशिया क्यों न हो, अमरीका क्यों न हो हम सब का मुकाबिला कर पायेंगे। क्योंकि उस वक्त सब के सामने सब से पहली कसम यह होगी, यहाँ आ कर नहीं खड़े होने से पहले उम्मीदवार जो बना है उसके सामने, कि हम को अपनी जात से, अपने खानदान से, अपनी पार्टी से देश ज्यादा प्यारा है। जब इस बात को हम सामने रखेंगे और अखराजात की बिल्कुल मुमानियत कर देंगे तो मेरा यकीन है कि सिर्फ पार्टियाँ रह जायेंगी जो प्रचार करेंगी।

यह मैं मानता हूँ कि बहुत कठिनाइयाँ हैं। जैसेकि आप यहाँ वाइस चेयरमैन साहब हुक्म देते हैं कि ऐज एक तरफ हरे बल्ब पर उंगली रखें और जो नोज वाले हैं वो लाल बल्ब पर उंगली रखें और जो न्यटरल हैं वो फलां बल्ब पर उंगली रखें, यह मैं मानता हूँ कि आज यह ऐसा मुमकिन नहीं कि गांव में हम यह इन्तजाम कर सकें और सारे देश में पांच मिनट में ही सब तय हो जाये, और किसी पर किसी तरह का बोझ भी न पड़े। लेकिन अगर मुझे मुआफ किया जाये तो मैं यह कहूंगा कि मैंने यह देखा कि पिछले इलैक्शन

में डबल बैलेट पेपर छपे। उन के छापने की जिम्मेदारी किस पर है? जिस तरह आज कोई खाली नोट साया करे तो उस की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार पर नहीं है, फाइनेन्स मिनिस्टर पर नहीं है, रिजर्व बैंक के गवर्नर पर नहीं है बल्कि वह जिम्मेदारी है उस पर कि जो ऐसा करता है। हमारे पंजाब में भी जो डबल बैलेट पेपर छपे, मैं उसे किसी तरह से भी जिम्मेदारी इलैक्शन कमिशनर या उन के स्टाफ पर नहीं डालता। लेकिन यह क्यों होता है? यह बात इसलिये होती है कि एक पार्टी कसम खाए हुए होती है, चाहे वह अपोजीशन पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कि हमें दूसरे को गिराना है और ताकत में आना है। उस वक्त न सिर्फ पच्चीस हजार के बजाय दो-दो लाख रुपया खर्चा हो जाता है बल्कि वे ऐसी बातें भी करते हैं जो आने वाली नस्लों के लिये शर्म का वाइस बनेंगी। इसलिये आप इलैक्शन का सादा कीजिये। और ऐसी कोशिश कीजिये कि जब राय ली जाये वो इस ढंग से ली जाये कि एक ही वक्त में हर गांव में बजाय इतना बड़ा स्टाफ भेजने के या इतने बड़े जोये जाते हैं आप के अफसर और उन का बड़ा अमला और उस के इन्तजाम के लिए पुलिस न जाने क्या क्या कुछ होता है। जितने भी उम्मीदवार हों एक हों, दो हों, तीन हों, सरकार ऐसा इन्तजाम करे कि वे अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर इकट्ठा हो जायें, और उनका एक ही वक्त में जो टाइम मुकर्रर हो, जो भी टाइम आप मुकर्रर करें, उस में फोटोग्राफ हो जाये, और वह फोटोग्राफ जो हो वह सरकार के पास पहुँच जाए। सरकार से मेरी मुराद रिटनिंग आफिसर से है। तो उस में ये जो वोटों का शंसट है—मैं खड़े हो कर के कहूँ या कोई कुछ खड़ा हो कर के कहे—उस में भी काफी हद तक आसानी हो जाती है और भार्गव साहब जो चाहते हैं कि सच्चाई का इजहार हो वह भी हो जायगा कि किस कैंडिडेट के पास कितने लोग हैं। तो इस तरह उन को कुछ खर्च करना नहीं पड़ेगा और इस एमरजेंसी के

[श्री अब्दुल गनी]

जमाने में सरकार का भी खर्च कम हो जायेगा, और सरकार जो एमरजेंसी में इन्टेप्रेशन चाहती है ज इमोशनल हो, नोशनल हो किसी तरह का हो, उस को भी बक्का नहीं लगेगा ।

इसके बाद हो सकता है कि हमारे नेतागण इस बात पर भी आ जाएं कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा देश अशोक जी के जमाने में था या अकबर के जमाने में था या चन्द्रगुप्त के जमाने में था उसी तरह से फिर देश को खुशहाल बनाया जाये, और जैसे पहले तक्षशिला और पाटलीपुत्र की यनिवर्सिटियों की तरफ सारी दुनिया आती थी उसी तरह फिर सब हिन्दुस्तान की तरफ निगाहें करने लगे, और हिन्दुस्तान सिवाए तामीर के तखरीब का नाम न जानता हो । और तब नफरत जो पार्टियों की तरफ होती है उस को कम से कम किया जाये । जो देहात में, अगड़े होते हैं उन को कम से कम किया जाये । जो सच्चाई चाहते हैं, मार्गव साहब, वो सच्चाई भी जाहिर हो सके । उस के लिए और भी कई बातें और कई स्कीमें हो सकती हैं । जिस से सच्चाई ज्यादा से ज्यादा उभरे और इसलिये उभरे कि हम अपने देश की ताकत में इजाफा करें ।

जिन नेताओं के साथ मेरा जिन्दगी का वास्ता रहा और मैंने बरसों बरस उनके साथ काटे आज मैं उनसे कहना चाहता हूं क्योंकि उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है और उनके बाद अपोजीशन के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आखिर ताकत किस लिए लेते हैं । ताकत इसलिए लेना चाहते हैं कि हम देश को सब करें, देश की हम खिदमत करें । चन्द गन्दी मछलियां जो होती हैं वो बेशक सारे तालाब को गन्दा कर देती हैं लेकिन उनकी इच्छा पूरी हो सकती है, सब की इच्छा पूरी नहीं हो सकती है । मैं यह बड़े फ़ख़र से कह सकता कि अक्सरियत जो होती है मेम्बरों की वह ईमानदारी से यह चाहती है कि देश का भला हो, देश का मान रहे । लेकिन आज वाइस चेयरमैन साहब, हमारे

प्राइम मिनिस्टर जिनका दर्जा दुनिया में बहुत ही बलन्द था, खदा करे अभी भी बलन्द रहे . . .

श्री ए० एम० तारिक : हे अभी ।

श्री शीलभद्र याजी : हो क्या, अभी भी है ।

श्री अब्दुल गनी : मुझे से पहले ही आप बेकदार हो गए, तारिक भाई और याजी जी । मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं था ।

श्री ए० एम० तारिक : हम जानते हैं कि आप क्या कहेंगे ।

श्री अब्दुल गनी : उस वक्त जब मैंने कहा था और जब मैंने चैलेंज किया था कि पंडित जी रिजाइन करें उस वक्त आपको चैलेंज कुबूल करना था, लेकिन उस वक्त आप लोग सोये रहे । मैं जानता हूं कि आज भी उन का बड़ा मान है । अब आप खुश हो गए । ऐसे अजीम आदमी को भी बाज-औक़ात अपनी पार्टी को ताकत में रखने के लिए ऐसी बातें करनी पड़ती हैं और अपने मन के खिलाफ़, अपनी राय के खिलाफ़ व मजबूर हो जाते हैं कि पार्टी के लिए ऐसी बातें करें जिसको लोग बिल्कुल न मानें ।

श्री शीलभद्र याजी : सलत बान है ।

श्री अब्दुल गनी : आप अपनी बात कह सकते हैं लेकिन जो बात मेरी है वह मैं ही कहूंगा :—

निकल जाती है सच्ची बात
जिस के मुँह से मस्ती में,
ककीड़े मसलहत बीं से वो
रिदे बादा खार अच्छा ।

मैं ऐलान से कह सकता हूं कि मैं आज भी पंडित नेहरू का ज्यादा दोस्त हूं वामुकाबिला उनके जो उनकी बातों को सेबोटैज करते हैं और इस तरीके पर करते हैं कि जिससे दुनिया उनका मजाक करे, जिससे महज्जब दुनिया इसे और उनकी चर्चा करे ।

इसलिए वाइस चेयरमैन साहब, मैं यह कह रहा था कि अगर हमारी नीयत यह है कि इलेक्शनों में जो भी कैंडिडेट हों उनकी बिसमिल्ला ही सलत न हो कि वे अपना रिटर्न ही गलत दें, बल्कि उनकी बिसमिल्ला ठीक हो, तो उसके बारे में हमें कुछ करना होगा। क्योंकि जब उनकी बिगनिंग ठीक होगी तो उनका एंड भी शानदार ही होगा। तो इसलिए मैं आपके द्वारा वाइस चेयरमैन साहब, सरकार से कहता हूँ कि वह ऐसे साधन अख्तियार करे जिससे कि कम से कम खर्च पर गरीब से गरीब उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ सके और मुकाबिले में खड़ा हो सके। उसमें कोई दिक्कत उसे न आए। और ऐसी सूरत न हो कि कोई स्वतंत्र पार्टी का राजा हो या कोई कांग्रेस पार्टी का नवाब हो या कोई जनतंत्र का राजा हो वह गरीब आदमी को रुपये के जोर से दबा दे। तो अगर आप ऐसा संशोधन करें कि जिसमें कोई गरीब से गरीब उम्मीदवार भी आसानी से खड़ा हो सके तो बहुत बेहतर होगा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इलेक्शनों में एक तरफ गरीब की कतारें होती हैं जैसाकि चाइना को हटाने के लिए एक फौज जा रही हो और दूसरी तरफ गरीब के पास एक छोटा सा छकड़ा भी नहीं होता। इलेक्शन में आपके सामने ऐसी बातें आई हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि जो अनहोनी बात हो। ऐसा हुआ है, इसलिए कहता हूँ। तो भागवत साहब, बजाये इसके कि ये एमेंडमेंट लाएं उनके लिए यह बेहतर है कि वो अपना खुलूस, अपनी काबलियत, अपनी विजडम इस बात पर लगाएं कि इस हाउस में भी और जो हमारी लोक सभा है उसमें भी इस बारे में उनकी आवाज पहुंचे कि सच्चाई इस बात का मुताबिक करती है, देश इस बात की मांग करता है, कि इलेक्शन को सादा से सादा बनाया जाये।

वाइस चेयरमैन साहब, मैं यह नहीं मानता कि जितना एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सब कांग्रेस विचार के लोग हैं, उसमें दूसरे

विचारों के भी लोग हैं, कुछ कम्युनिस्ट भाईयों के विचार के होंगे, कुछ स्वतंत्र पार्टी के विचार के होंगे, कुछ जनसंघी भाईयों के विचार के होंगे। और इसलिए मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ कांग्रेसी ही अपने लिए एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में कई तरह के लोग हैं। लेकिन यदि रखिए एडमिनिस्ट्रेशन को गंगा-जमना के समान होना चाहिये। जैसे गंगा और जमना लाखों वर्षों से या करोड़ों वर्षों से बहती हैं और उसके किनारे पर कभी डुब आए, कभी आर्य आए, कभी पठान आए, कभी तुर्क आए, कभी मुगल आए और अब वे आए हैं लेकिन वह बहती है। वास्तिक हो वास्तिक हो वह सब के लिए है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को गंगा और जमना बनाइए और इलेक्शनों में अगर एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे तो वह तबाही का कारण होगा। इलेक्शनों में एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल या एमरजसी के दौर में इसका इस्तेमाल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा तबाही का बाइस बो होगा। तो अगर आप ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे जिससे कि यह चीज न हो तो मेरा यकीन है कि फिर से वही बात पैदा हो जायेगी जोकि गांधी जी के वक़्त में थी कि एक आवाज दी, और जिस किसी को खड़ा कर दिया वह हो गया। उस जमाने में इतना ही कहने से कि यह कांग्रेस का है उसकी जीत हो जाती थी और यह कहने से कि वो अंग्रेज का है उसकी हार हो जाती थी। अंग्रेज के बड़े से बड़े आदमियों की हार हो जाती थी। मैं अंग्रेजों की कितनी भी निन्दा क्यों न करूं क्योंकि वो हमारे देश पर काबिज थे, मैंने बरसा बरसा उनका मुकाबला किया उनके हर कदम को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन एक बात मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि इलेक्शनों में उन्होंने बदनीयती नहीं की, कोई ट्विंकलिंग पेपर नहीं छपा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया। मगर आज यह सब हो रहा है। तो भागवत साहब से,

[श्री अब्दुल गनी]

वाइस चेयरमैन साहब, आपके द्वारा और भागव साहब के द्वारा मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ कि यह तबाही का वाइस होगा। इसलिए आईए एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि पार्टी अपना मैनिफेस्टो धाया कर दे और फिर बाद में कुछ करने को न रहे। मैं तो कहूँगा कि यह सब पार्टियों का मिलता जुलता मैनिफेस्टो हो। वो सिर्फ यह कह दे कि यह हमारा नुमाइन्दा है और आप इसको वोट दो। इतना कह देने के बाद कोई कहीं न जाए और कुछ न करे। ऐसा हो तो उसमें सबको आसानी भी पैदा हो जायेगी और किसी को रिटर्न भी नहीं देना होगा, सिवाय इस रिटर्न के कि मैं कामयाब हो गया और वो भी रिटर्निंग आफिसर दे देगा। अगर ऐसा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

वाइस चेयरमैन साहब, मैं एक आखिरी बात की तरफ आपकी तबज्जो दिलाना चाहता हूँ और वह ये है कि मेरे ऐसा कहने पर कुछ पार्टियाँ कहेंगी कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें कि हमारे असूलों में और दूसरों के असूलों में मुखालफत है, जैसाकि कई दिनों से प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर का झगड़ा चलता रहा है और जैसेकि कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, गांधीइज्म है और न जाने कितने इज्म हैं और उनका झगड़ा चलता है। मगर वे सब इज्म और सारी पार्टियाँ आखिर देशवासियों के लिये हैं, आखिर देशवासियों की भलाई के लिये हैं। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर आप विचार करें और मेरी दरखवास्त पर धोर करें। आज आप यह न करें या कल आप यह न करें लेकिन कभी न कभी तो करना ही होगा। सब पार्टियों को मिल-जुलकर काम करना ही है क्योंकि कांग्रेस कितनी भी आगे बढ़ जाये, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी

आ जाए स्वतन्त्र पार्टी आगे बढ़ जाए या कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़ जाए। यूँ कम्युनिस्ट पार्टी से तो मैं उम्मीद करता नहीं, वो तो पीपल्स वार के साथ ही खत्म हो चुकी है लेकिन कभी कोई भी आ सकता है। कोई भी आए मुझे उससे झगड़ा नहीं है। मैं तो यह अर्ज किया चाहता हूँ कि सबको मिलकर काम करना है और अपने देश की भलाई को सामने रखते हुए अपने विचारों को लोगों के सामने रखना है। चाहे इस मामले में तारिक साहब या याजी साहब जी कुछ भी कहें। आज मैं इस मूड में नहीं हूँ और मुझे उनसे कोई झगड़ा करना नहीं है।

श्री अर्जुन अरोड़ा : बहुत खुशी की बात है।

श्री अब्दुल गनी : जी हाँ। मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। भागव साहब से यही अर्ज करनी है कि वे गम्भीरता के साथ इस पर विचार करें जिससे कि किसी तरह से डमोक्रसी भी बच जाए और किसी तरह से मान भी कायम रहे। झूठ भी न बोलना पड़े और देश की खदमत भी किसी तरह से हो जाये। वाइस चेयरमैन साहब, मैं भागव साहब का शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और याजी जी का भी शुक्रगुजार हूँ, तारिक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वे ऐन मौके पर सोये रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हाऊस के आनरेबल मेम्बरान मेरी इस मोहब्बताना गुजारिश पर तबज्जो देंगे।]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): The Home Minister will now make a statement.